[2021] 5 एस. सी. आर 408

पी. एस. ए. एस. आई. सी. ए. एल. टर्मिनल्स पी. वी. टी. लिमिटेड।

वी.

द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ वी. ओ. चिदम्बरनार पोर्ट

ट्रस्ट टचूटिकोरिन और अन्य

(सिविल अपील सं। 3699-3700 2018 का)

28 जुलाई, 2021

[आर. एफ. नरीमन और बी. आर. गवई, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: धारा 34-पुरस्कार को अलग रखने के लिए आवेदन-हस्तक्षेप का दायरा-आयोजितः एक में

एस के तहत आवेदन। 34 , न्यायालय से अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह एक अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करे और साक्षय की पुनः सराहना करे-हस्तक्षेप का दायरा धाराओं के तहत प्रदान किए गए आधारों तक सीमित होगा। 34 मध्यस्थता अधिनियम-हस्तक्षेप तब आवश्यक होगा जब पुरस्कार "भारत की सार्वजनिक नीति" का उल्लंघन करता है, जिसका अर्थ "भारतीय कानून की मौलिक नीति" माना गया है-पुरस्कार के गुण-दोष पर हस्तक्षेप करने के कारण न्यायिक हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होगी-हालांकि, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत

जैसा कि एस में निहित है। 18 और मध्यस्थता अधिनियम के 34 (2) (ए) (iii) एक पुरस्कार की चुनौती के आधार बने रहेंगे-आधार

हस्तक्षेप के लिए इस आधार पर कि पुरस्कार न्याय या नैतिकता के साथ टकराव में है, अब इसे "नैतिकता या न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं" के साथ टकराव के रूप में समझा जाना चाहिए-यह केवल ऐसे मध्यस्थ पुरस्कार हैं जो अदालत की अंतरात्मा को झकझोर देते हैं, जिन्हें उक्त आधार पर दरकिनार किया जा सकता है-एक पुरस्कार को पेटेंट अवैधता के आधार पर अलग रखा जाएगा जो पुरस्कार के सामने दिखाई देता है और इस तरह से, जो मामले की जड़ों तक जाता है-हालांकि, कानून के केवल गलत आवेदन के संबंध में एक अवैधता हस्तक्षेप का आधार नहीं होगी-समान रूप से, साक्षय की पुनः सराहना नहीं होगी।

पुरस्कार के सामने दिखाई देने वाली पेटेंट अवैधता के आधार पर अनुमेय।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: धारा 34-मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने एस. आई. सी. ए. एल. के पक्ष में निर्णय पारित करते हुए कहा कि कानून में बदलाव हुआ है और इस प्रकार एस. आई. सी. ए. एल. द्वारा अनुरोध के अनुसार राहत प्रदान की गई है-इसने टी. पी. टी. के कंटेनर टर्मिनल को

रॉयल्टी मॉडल से राजस्व हिस्सेदारी मॉडल में बदलने का निर्देश दिया-मध्यस्थता न्यायाधिकरण का निष्कर्ष इस आधार पर आधारित था कि जब टी. पी. टी. ने एक

408 पी. एस. ए. एस. आई. सी. ए. एल. टर्मिनल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. वी. ओ. चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट टुटिकोरिन का न्यासी मंडल

एस. आई. सी. ए. एल. के साथ अनुबंध एक मौजूदा नीति थी, जिसमें शुल्क निर्धारण के दौरान लागत में रॉयल्टी को शामिल करने का प्रावधान था और बाद में, जी. ओ. एल. ने 29 जुलाई, 2003 को अपनी नीति में बदलाव किया, जिससे यह प्रावधान किया गया कि रॉयल्टी भुगतान/राजस्व साझाकरण को टी. ए. एम. पी. द्वारा शुल्क निर्धारण/संशोधन की लागत के रूप में ध्यान में नहीं रखा जाएगा और बाद में 31 मार्च, 2005 को नीति में बदलाव किया गया, जिसके द्वारा रॉयल्टी के हिस्से को लागत में शामिल करने की अनुमति दी गई थी-मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अनुसार, नीति में बदलाव हुआ, जो कानून में बदलाव के बराबर था, जिसने बदले में, एस. आई. सी. ए. एल.-मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पुरस्कार को टी. पी. टी. द्वारा चुनौती दी गई थी।

जिला न्यायाधीश-जिला न्यायाधीश ने एस को खारिज कर दिया। 34 याचिका-टी. पी. टी. ने उच्च न्यायालय के समक्ष सफलतापूर्वक चुनौती दी-पीड़ित एस. आई. सी. ए. एल. ने तत्काल अपील दायर की-आयोजितः जब बोली दस्तावेज अधिसूचित किया गया था और जब एस. आई. सी. ए. एल. ने अपनी बोली प्रस्तुत की थी और एल. ओ. एल. उसे जारी किया गया था, तो कोई दिशानिर्देश प्रचलित नहीं थे-यहां तक कि फरवरी 1998 के दिशानिर्देशों में भी शुल्क निर्धारित करते समय रॉयल्टी को लागत के रूप में शामिल करने का प्रावधान नहीं है-इसके विपरीत, विशेष रूप से 1999 का शुल्क आदेश।

यह स्पष्ट करता है कि उसने रॉयल्टी के मुद्दे को टी. पी. टी. और जी. ओ. एल. द्वारा तय करने के लिए छोड़ दिया है-इसने विशेष रूप से स्पष्ट किया है कि टी. ए. एम. पी. द्वारा अनुमोदन को रॉयल्टी से संबंधित मुद्दे की किसी भी अंतर्निहित मंजूरी के रूप में नहीं माना जाना चाहिए-इसके अलावा, 20 सितंबर, 2002 को जारी टैरिफ आदेश विशेष रूप से किसी भी रॉयल्टी को लागत के रूप में फैक्टर करने के लिए एस. आई. सी. ए. एल. के दावे को खारिज करता है, जबकि टैरिफ/मूल्य निर्धारण-एस. आई. सी. ए. एल. ने रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त आदेश को चुनौती दी है, जिसकी अनुमति दी गई है-यह भी विवाद में नहीं है कि उच्च न्यायालय द्वारा 8 नवंबर, 2002 को पारित अंतरिम आदेश के कारण, एस. आई. सी. ए. एल. अभी भी 1999 में अधिसूचित दरों पर शुल्क लेना जारी रखे हुए है।

शुल्क आदेश-इस परिदृश्य में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण का निष्कर्ष, कि एक कानून था जब पक्षों के बीच समझौता किया गया था, जो एक पास-थ्रू के रूप में रॉयल्टी प्रदान करता था और यह कि उक्त कानून को पहली बार 2003 में बदला गया है और

बाद में 2005 में फिर से बदला गया, 'कोई सबूत नहीं' के आधार पर एक निष्कर्ष है-यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने 1999 और 2002 के शुल्क आदेशों का अवलोकन किया होता, तो यह पाया जाता कि 1999 के शुल्क आदेश में टीएएमपी ने विशेष रूप से कहा है कि शुल्क की इसकी मंजूरी को रॉयल्टी से संबंधित मुद्दे की अंतर्निहित मंजूरी के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और 2002 के शुल्क आदेश में विशेष रूप से कहा गया है कि शुल्क निर्धारित करते समय रॉयल्टी को लागत में शामिल करने की अनुमति

नहीं थी-मध्यस्थ न्यायाधिकरण इस [2021] 5 एस. सी. आर. को ध्यान में रखने में पूरी तरह से विफल रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामले का पहलू-इस तरह, मध्यस्थ के निष्कर्ष के बाद से

प्रासंगिक साक्षय पर विचार करते हुए, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा एसोसिएट बिल्डर्स के पैराग्राफ 31 में समझाया गया है, विकृति के दायरे में आएगा-निष्कर्ष अपने निर्णय पर पहुंचने में 'कोई सबूत नहीं' और 'महत्वपूर्ण साक्षय की अज्ञानता' पर आधारित हैं। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: एस. 34-क्या मध्यस्थ न्यायाधिकरण को इस प्रकार एक पुरस्कार पारित करने में उचित ठहराया गया था।

'रॉयल्टी भुगतान मॉडचूल' को 'राजस्व-साझाकरण मॉडचूल' में प्रतिस्थापित करना-पार्टियों के बीच विधिवत किए गए अनुबंध को पार्टियों की सहमति के बिना एकतरफा रूप से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है-पार्टियों का इरादा रिकॉर्ड पर दस्तावेजों से एकत्र किया जा सकता है-एस. आई. सी. ए. एल. ने समझौते के अनुच्छेद 14.3 की शर्तों के तहत राहत की मांग करते हुए टी. पी. टी. को प्रतिनिधित्व किया-टी. पी. टी. ने एस. आई. सी. ए. एल. को सूचित किया कि उसके द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच की जा रही थी-हालाँकि, टी. पी. टी. ने राहत के लिए एस. आई. सी. ए. एल. के आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके अनुसार, एस. आई. सी. ए. एल. द्वारा उठाया गया मुद्दा उच्च न्यायालय में एस. आई. सी. ए. एल. द्वारा दायर रिट याचिका के समक्ष लंबित था। -

रिट याचिका में स्पष्ट किया गया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित याचिका का लाइसेंस समझौते के अनुच्छेद 14 के तहत प्रतिनिधित्व से कोई लेना-देना नहीं है और मामले को टी. पी. टी. को भेज दिया गया है।

नए सिरे से विचार-टी. पी. टी. ने एस. आई. सी. ए. एल. के दावे को खारिज कर दिया-टी. पी. टी. ने विशेष रूप से कहा है कि समझौते में कोई भी बदलाव भारत सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता है-एस. आई. सी. ए. एल. ने टी. पी. टी. को लिखा है।

लाइसेंस समझौते के अनुच्छेद 15.3 के तहत मध्यस्थता का आह्वान करते हुए टी. पी. टी. ने 'रॉयल्टी भुगतान मोड' से 'राजस्व साझाकरण मोड' में परिवर्तन के अनुरोध के संबंध में एस. आई. सी. ए. एल. के दावे का कड़ा विरोध किया-इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि एस. आई. सी. ए. एल. चाहता था कि समझौते में संशोधन किया जाए ताकि रॉयल्टी भुगतान विधि को 'राजस्व साझाकरण विधि' में बदला जा सके-टी. पी. टी. हमेशा इसका विरोध करता था-टी. पी. टी. का इरादा इसके विभिन्न संचारों और मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष इसके रुख से स्पष्ट है कि यह संशोधन के लिए सहमत नहीं था।

'रॉयल्टी भुगतान विधि' से 'राजस्व-साझाकरण विधि' तक समझौता-हालांकि, टी. पी. टी. के रुख की अनदेखी करते हुए, विवादित पुरस्कार द्वारा, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने पी. एस. ए. एस. आई. सी. ए. एल. टी. पी. वी. टी. में एक नए कार्यकाल पर जोर दिया है।

लिमिटेड। वी. वी. ओ. चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट टुटिकोरिन का न्यासी मंडल

टी. पी. टी. की इच्छाओं के खिलाफ पक्षों के बीच समझौता-'रॉयल्टी भुगतान विधि' को मध्यस्थ द्वारा पूरी तरह से प्रतिस्थापित किया गया है।

न्यायाधिकरण, 'राजस्व-साझाकरण विधि' के साथ-इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पुरस्कार ने टी. पी. टी. के इरादे के खिलाफ एस. आई. सी. ए. एल. के एकतरफा इरादे से पक्षों के लिए एक नया अनुबंध बनाया है।

मध्यस्थता: एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण कानून का न्यायालय नहीं है-इसके आदेश न्यायिक आदेश नहीं हैं-इसके कार्य न्यायिक कार्य नहीं हैं-यह अपनी शक्तियों का प्रयोग एकतरफा न्याय से नहीं कर सकता है।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़ना: 1. हस्तक्षेप का दायरा मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रदान किए गए आधारों तक सीमित होगा। अ.

पेटेंट की अवैधता के आधार पर पुरस्कार अलग रखा जाएगा पुरस्कार के चेहरे पर दिखाई देना और इस तरह, जो मामले की जड़ों तक जाता है। हालांकि, कानून के केवल गलत अनुप्रयोग के संबंध में एक अवैधता के लिए एक आधार नहीं होगा

पुरस्कार का चेहरा। एक निर्णय जो विकृत है, हालांकि "भारत की सार्वजनिक नीति" के तहत चुनौती के लिए एक आधार नहीं होगा, निश्चित रूप से पुरस्कार के चेहरे पर दिखाई देने वाली पेटेंट अवैधता के बराबर होगा। हालांकि, किसी भी सबूत के आधार पर एक निष्कर्ष या एक पुरस्कार जो अपने निर्णय पर पहुंचने में महत्वपूर्ण सबूत की अनदेखी करता है, विकृत होगा और पेटेंट अवैधता के आधार पर अलग किया जा सकता है। [पारस 42,43] [434-एच; 435-सी-ई] 2. बोली दस्तावेज का अनुच्छेद 14 'कानून में परिवर्तन' से संबंधित है। अनुच्छेद 14.3 कानून में परिवर्तन के तहत राहत प्रदान करता है। अगर इसके बाद

समझौते की तारीख, कानून में एक बदलाव है जो लाइसेंसधारक के अधिकारों को काफी हद तक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है

परियोजना की वाणिज्यिक व्यवहार्यता को बदलने के लिए समझौता, लाइसेंसधारी, लिखित सूचना द्वारा, समझौते की शर्तों में संशोधन का अनुरोध कर सकता है। इसने आगे यह प्रावधान किया कि अनुच्छेद 14.3 के प्रावधानों के अधीन, लाइसेंसधारी इसके परिणामस्वरूप लाइसेंसकर्ता से किसी भी तरह के मुआवजे का हकदार नहीं होगा -

कानून में परिवर्तन। [पैरा 55] [442-जी-एच; 443-बी-सी]

एमएमटीसी लिमिटेड बनाम। वेदांत लिमिटेड (2019) 4 एस. सी. सी. 163:

[2019] 3 एस. सी. आर. 1023-निर्भर।

21] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3.1 न तो धारा 34 के तहत और न ही मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत, न्यायालय साक्षय की पुनः सराहना करने का हकदार है। उक्त सीमा इस न्यायालय पर भी समान रूप से लागू होगी। मान लीजिए, बोली दस्तावेज 9 अप्रैल, 1997 को प्रकाशित किया गया था। एस. आई. सी. ए. एल. की तकनीकी बोली 24 अक्टूबर, 1997 को प्रस्तुत की गई थी। एस. आई. सी. ए. एल. का वित्तीय प्रस्ताव 19 दिसंबर, 1997 को प्रस्तुत किया गया था। लोल 29 जनवरी, 1998 को जारी किया गया था। यह सब फरवरी 1998 में टी. ए. एम. पी. द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से पहले हुआ है। के रूप में

इस प्रकार, यह किसी भी संदेह से परे है कि जब बोली दस्तावेज को अधिसूचित किया गया था और जब एस. आई. सी. ए. एल. ने अपनी बोली प्रस्तुत की थी और एल. ओ. एल. इसे जारी किया गया था, तो कोई दिशानिर्देश प्रचलित नहीं थे। 26/27 फरवरी, 1998 को चेन्नई में आयोजित कार्यशाला में पहली बार टीएएमपी द्वारा दिशानिर्देशों को अपनाया गया था। [पैरा 60] [444-सी-एफ]

3.2 यहां तक कि 1998 के दिशानिर्देशों में भी यह उल्लेख नहीं है कि शुल्क निर्धारित करते समय रॉयल्टी को लागत में शामिल किया जा सकता है। हालांकि

उक्त दिशानिर्देशों में कहा गया है कि बंदरगाह मूल्य निर्धारण लागत के आधार पर जारी रह सकता है- वापसी की एक सुनिश्चित दर के साथ, यह आगे कहा गया है कि वापसी की एक सुनिश्चित दर की ऐसी अवधारणा एक प्रतिस्पर्धी प्रणाली के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि जब बोलियां आमंत्रित की गईं और एस. आई. सी. ए. एल. ने अपनी बोली प्रस्तुत की और इसे लोल जारी किया गया, कोई नीति नहीं थी। यहां तक कि 1998 के दिशानिर्देशों में भी लागत में रॉयल्टी को शामिल करने का प्रावधान नहीं है।

शुल्क निर्धारित करना। [पैरा 63] [445-जी-एच; 446-ए]

4. सभी दस्तावेजों को एक साथ पढ़ने से पता चलता है कि अप्रैल 1997 में बोली दस्तावेज कब प्रकाशित हुआ था; एस. आई. सी. ए. एल.

अक्टूबर, 1997 में अपनी बोली लगाई और दिसंबर, 1997 में अपना वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया; और 29 जनवरी, 1998 को एस. आई. सी. ए. एल. को एल. ओ. एल. जारी किया गया, कोई दिशा-निर्देश नहीं थे। यहां तक कि फरवरी 1998 के दिशानिर्देशों में भी रॉयल्टी को इस रूप में शामिल करने का प्रावधान नहीं है

शुल्क निर्धारित करते समय लागत। इसके विपरीत, 1999 का शुल्क आदेश विशेष रूप से स्पष्ट करता है कि उसने रॉयल्टी के मुद्दे को टी. पी. टी. और भारत सरकार द्वारा तय करने के लिए छोड़ दिया है। इसने विशेष रूप से स्पष्ट किया है कि टी. ए. एम. पी. द्वारा अनुमोदन की व्याख्या रॉयल्टी से संबंधित मुद्दे के किसी भी अंतर्निहित अनुमोदन के रूप में नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा, शुल्क

20 सितंबर, 2002 को जारी आदेश विशेष रूप से शुल्क/मूल्य निर्धारण के दौरान किसी भी रॉयल्टी को लागत के रूप में शामिल करने के एस. आई. सी. ए. एल. के दावे को खारिज करता है। एस. आई. सी. ए. एल. ने उक्त आदेश को मद्रास हाई पी. एस. ए. एस. आई. सी. ए. एल. टर्मिनल्स पी. वी. टी. के समक्ष चुनौती दी है।

लिमिटेड। वी. वी. ओ. चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट टुटिकोरिन का न्यासी मंडल

न्यायालय रिट याचिका के माध्यम से, जिसे याचिका की अनुमति दी गई है। यह भी विवाद में नहीं है कि मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 8 नवंबर, 2002 को पारित अंतरिम आदेश के कारण एस. आई. सी. ए. एल. अभी भी 1999 के शुल्क आदेश में अधिसूचित दरों पर शुल्क लेना जारी रखे हुए है।

[पैरा 76] [451-ए-डी]

5.1 इस परिदृश्य में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण का निष्कर्ष, कि एक कानून था जब समझौता किया गया था पक्षकारों के बीच, जो एक पास-थ्रू के रूप में रॉयल्टी प्रदान करते हैं और यह कि उक्त कानून को पहली बार 2003 में बदला गया है और बाद में 2005 में फिर से बदला गया है, 'कोई सबूत नहीं' के आधार पर एक निष्कर्ष है। यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने 1999 और 2002 के शुल्क आदेशों पर विचार किया होता, तो यह पाया जाता कि 1999 के शुल्क आदेश में टीएएमपी ने विशेष रूप से कहा है कि उसने शुल्क को मंजूरी दी है।

इसे रॉयल्टी से संबंधित मुद्दे की अंतर्निहित मंजूरी के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और 2002 के शुल्क आदेश में विशेष रूप से कहा गया है कि रॉयल्टी थी

शुल्क निर्धारित करते समय लागत में शामिल होने की अनुमति नहीं है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण मामले के इस पहलू पर विचार करने में पूरी तरह विफल रहा है। [पैरा 77] [451-डी-एफ] 6.2 इस प्रकार, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निष्कर्ष के बाद से, कि इस प्रभाव के लिए एक मौजूदा कानून था कि रॉयल्टी देय थी

शुल्क के निर्धारण के दौरान लागत के रूप में अनुमति दी जाएगी, जो 'कोई सबूत नहीं' पर आधारित है और यह निष्कर्ष, कि 2003 और 2005 में कानून में परिवर्तन हुआ था, बिना इस पर विचार किए आधारित है।

प्रासंगिक साक्षय पर विचार करना, विकृति के दायरे में आएगा जैसा कि इस न्यायालय द्वारा सहयोगी बिल्डरों के पैराग्राफ 31 में समझाया गया है। निष्कर्ष अपने निर्णय पर पहुंचने में 'कोई सबूत नहीं' और 'महत्वपूर्ण सबूत की अज्ञानता' पर आधारित हैं। [पैरा 78] [451-एफ-एच]

एसोसिएट बिल्डर्स बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण

(2015) 3 एससीसी 49: [2014] 13 एस. सी. आर. 895-पर निर्भर।

7.1 यह हमें अगले मुद्दे पर लाता है। , इस बारे में कि क्या मध्यस्थ न्यायाधिकरण इस प्रकार एक पुरस्कार पारित करने में उचित था 'रॉयल्टी भुगतान मॉड्यूल' को 'राजस्व-साझाकरण मॉड्यूल' में प्रतिस्थापित करना। पार्टियों के बीच विधिवत किए गए अनुबंध को पार्टियों की सहमति के बिना एकतरफा रूप से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। पक्षकारों के इरादे को अभिलेख पर दस्तावेजों से एकत्र किया जा सकता है। एस. आई. सी. ए. एल. ने पहली बार टी. पी. टी. [2021] 5 एस. सी. आर. में प्रतिनिधित्व किया।

6 अक्टूबर, 2006 को इस प्रकार की शर्तों के तहत राहत की मांग की गई

समझौते का अनुच्छेद 14.3। 14 अक्टूबर, 2006 को टी. पी. टी. एस. आई. सी. ए. एल. ने सूचित किया कि उसके द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच की जा रही है। हालांकि, 27 अक्टूबर, 2006 के आदेश के अनुसार, टी. पी. टी.

एस. आई. सी. ए. एल. ने राहत के लिए एस. आई. सी. ए. एल. के आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसके अनुसार एस. आई. सी. ए. एल. द्वारा उठाया गया मुद्दा मद्रास के समक्ष लंबित था।

उच्च न्यायालय। इसलिए एस. आई. सी. ए. एल. ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष 2006 की रिट याचिका संख्या 4361 के रूप में रिट याचिका दायर की। द मद्रास उच्च न्यायालय ने 21 अगस्त, 2007 के आदेश के माध्यम से उक्त रिट याचिका को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

अदालत का अनुच्छेद 14 के तहत प्रतिनिधित्व से कोई लेना-देना नहीं था।

लाइसेंस समझौते के बारे में और मामले को नए सिरे से विचार के लिए टी. पी. टी. को भेज दिया। 25 अप्रैल, 2008 के एक तर्कपूर्ण पत्र के माध्यम से, टी. पी. टी. ने एस. आई. सी. ए. एल. के दावे को खारिज कर दिया। टी. पी. टी. ने विशेष रूप से देखा है

कि समझौते में कोई भी बदलाव भारत सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता है। एस. आई. सी. ए. एल. ने 19 नवंबर, 2012 को लाइसेंस समझौते के अनुच्छेद 15.3 के तहत मध्यस्थता का आह्वान करते हुए टी. पी. टी. को एक पत्र लिखा। टी. पी. टी. ने एस. आई. सी. ए. एल. के दावे का कड़ा विरोध किया

'रॉयल्टी भुगतान मोड' से परिवर्तन के लिए प्रार्थना के संबंध में

' राजस्व साझाकरण मोड '। [पैरा 79] [452-ए-ई]

7.2 इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि एस. आई. सी. ए. एल. चाहता था कि समझौते में संशोधन किया जाए ताकि 'रॉयल्टी भुगतान विधि' में बदलाव किया जा सके।

' राजस्व-साझाकरण विधि '। टी. पी. टी. हमेशा इसका विरोध करती थी। द.

टी. पी. टी. का इरादा इसके विभिन्न संचारों से स्पष्ट है।

और मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष उसका रुख, कि वह 'रॉयल्टी भुगतान विधि' से समझौते के संशोधन के लिए सहमत नहीं था

'राजस्व-साझाकरण विधि'। [पैरा 80] [453-ई-एफ]

7.3 हालाँकि, टी. पी. टी. के रुख को नजरअंदाज करते हुए, विवादित निर्णय द्वारा, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने एक नए कार्यकाल पर जोर दिया है टी. पी. टी. की इच्छाओं के विरुद्ध पक्षों के बीच समझौता। 'रॉयल्टी भुगतान विधि' को पूरी तरह से प्रतिस्थापित किया गया है

मध्यस्थ न्यायाधिकरण, 'राजस्व-साझाकरण विधि' के साथ। यह इस प्रकार है स्पष्ट है कि पुरस्कार ने पक्षों के लिए एक नया अनुबंध बनाया है

टी. पी. टी. के इरादे के खिलाफ एस. आई. सी. ए. एल. के एकतरफा इरादे से।

[पैरा 81] [453-जी] पी. एस. ए. एस. आई. सी. ए. एल. टर्मिनल पी. वी. टी.। लिमिटेड। वी. वी. ओ. चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट टुटिकोरिन का न्यासी मंडल

सांगयोंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी सीमित वी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) (2019) 15 एससीसी 131: [2019] 7 एस. सी. आर. 522-निर्भर।

8. एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण कानून का न्यायालय नहीं है। इसके आदेश न्यायिक आदेश नहीं हैं। इसके कार्य न्यायिक कार्य नहीं हैं। यह.

न्याय के अधिकार के बिना अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मध्यस्थ का अधिकार क्षेत्र समझौते के चारों कोनों तक सीमित होने के कारण, वह केवल ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो संदर्भ का विषय हो सकता है। विवादित पुरस्कार 'पेटेंट अवैधता' के दायरे में आएगा और इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से खारिज कर दिया गया है। [पारस 87,88] [456-ए-सी]

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनाम अन्नपूर्णा निर्माण (2003) 8 एस. सी. सी. 154: [2003] 3 पूरक। एससीआर 122; मो। सेना कल्याण आवास संगठन बनाम। सुमंगल

सर्विसेज (पी) लिमिटेड (2004) 9 एस. सी. सी. 619 [2003] 4 पूरक। एस. सी. आर. 385 पर भरोसा किया।

झारखंड राज्य और अन्य बनाम। एच. एस. एस. एकीकृत एस. डी. एन. और अन्य (2019) 9 एस. सी. सी. 798; सुमितोमो हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। तेल और प्राकृतिक गैस निगम

लिमिटेड (2010) 11 एससीसी 296: [2010] 9 एस. सी. आर. 176; गुणवत्ता विनिर्माण निगम बनाम। केंद्रीय गोदाम निगम (2009) 5 एस. सी. सी. 142; राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड बनाम। दीवान चंद राम सरन (2012) 5 एस. सी. सी. 303: [2012] 4 एससीआर 1; स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम। गुप्ता ब्रदर स्टील ट्यूब लिमिटेड (2009) 10 एस. सी. सी. 63: [2009] 14 एस. सी. आर. 253; प्योर हीलियम इंडिया (पी) लिमिटेड v. तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (2003) 8 एस. सी. सी. 593 [2003] 4 सप्लीमेंट। एससीआर 561; पी. वी. सुब्बा नायडू और

अन्य वी। एपी और अन्य की सरकार (1998) 9 एससीसी 407; धनलाल बनाम। कलावती बाई और अन्य (2002) 6 एस. सी. सी. 16: [2002] 1 पूरक। एस. सी. आर. 19; स्वामी आत्मानंद और अन्य बनाम। श्री रामकृष्ण तपोवनम और अन्य (2005) 10 एससीसी 51: [2005] 3 एस. सी. आर. 556; ट्रान्सकोर वी. भारत संघ और एक अन्य (2008) 1 एस. सी. सी. 125: [2006] 9 पूरक। एससीआर 785; सैंडविक एशिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम।

वर्धमान प्रवर्तक 2007 (94) डी. आर. जे. 762; हंसालय [2021] 5 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गुण v. डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड 2008

(106) डी. आर. जे. 820; अडानी पावर (मुंद्रा) लिमिटेड बनाम।

गुजरात विद्युत नियामक आयोग और अन्य

(2019) 19 एससीसी 9; रघुनाथराव गणपतराव बनाम। संघ

भारत सरकार (1994) 1 एस. सी. सी. सप 191: [1993] 1 एससीआर 480;

नागुबाई अम्मल और अन्य बनाम। बी. शमा और अन्य

[1956] एस. सी. आर. 451; सुरेश कुमार वाधवा बनाम की स्थिति

मध्य प्रदेश और अन्य (2017) 16 एससीसी 757:

[2017] 14 एस. सी. आर. 1; ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन

और अन्य वी। सासन पावर लिमिटेड और अन्य (2017)

1 एससीसी 487: [2016] 9 एस. सी. आर. 901; राष्ट्रीय केमिकल्स

और फर्टिलाइजर्स लिमिटेड v. चौगुले ब्रदर्स और अन्य

(2010) 8 एससीसी 563 [2010] 7 एससीआर 962; दक्षिण पूर्व

एशिया मरीन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड v.

ऑयल इंडिया लिमिटेड (2020) 5 एस. सी. सी. 164; जे. जी. इंजीनियर

प्राइवेट लिमिटेड v. भारत संघ और एक अन्य (2011) 5

एससीसी 758 [2011] 8 एससीआर 486; सत्यनारायण

निर्माण कंपनी बनाम। भारत संघ और अन्य

(2011) 15 एस. सी. सी. 101-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(2019) 9 एस. सी. सी. 798

संदर्भित किया गया है

पै

रा 26

[2010] 9 एससीआर 176

संदर्भित किया गया है

पै

रा 26

(2009) 5 एस. सी. सी. 142

संदर्भित किया गया है

पै

रा 26

[2012] 4 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पै

रा 26

[2009] 14 एससीआर 253

पै

रा 26

संदर्भित किया गया है

[2003] 4 पूरक। एससीआर 561

पै

रा 26

संदर्भित किया गया है

(1998) 9 एस. सी. सी. 407

संदर्भित किया गया है

पै

रा 26

[2002] 1 पूरक। एस. सी. आर 19

संदर्भित किया गया है

पै

रा 26

[2005] 3 एससीआर 556

संदर्भित किया गया है

पै

रा 26

[2006] 9 पूरक। एससीआर 785

संदर्भित किया गया है

पै

रा 26

(2019) 19 एससीसी 9

संदर्भित किया गया है

पै

रा 29

[1993] 1 एससीआर 480

संदर्भित किया गया है

पै

रा 33

[1956] एससीआर 451

पै

रा 33

पी. एस. ए. एस. आई. सी. ए. एल. टर्मिनल पी. वी. टी. को संदर्भित किया जाता है। लिमिटेड। वी. वी. ओ. चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट टुटिकोरिन का न्यासी मंडल

[2017] 14 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पै

रा 33

[2016] 9 एससीआर 901

संदर्भित किया गया है

पै

रा 33

[2010] 7 एससीआर 962

संदर्भित किया गया है

पै

रा 33

(2020) 5 एससीसी 164

संदर्भित किया गया है

पै

रा 33

[2011] 8 एससीआर 486

संदर्भित किया गया है

पै

रा 33

(2011) 15 एस. सी. सी 101

पै

रा 33

संदर्भित किया गया है

[2019] 7 एससीआर 522

उस पर भरोसा करें

पै

रा 33

[2019] 3 एससीआर 1023

उस पर भरोसा करें

पै

रा 58

[2014] 13 एससीआर 895

उस पर भरोसा करें

पै

रा 78

[2003] 3 पूरक। एससीआर 122

उस पर भरोसा करें

पै

रा 84

[2003] 4 पूरक। एससीआर 385

उस पर भरोसा करें

पै

रा 86

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 3699

3700 2018 से।

उच्च न्यायालय के 01.11.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2016 के सी. एम. ए. (एम. डी.) सं. 345 और सी. एम. पी. में मदुरै पीठ में मद्रास विश्वविद्यालय से। (एम. डी.) 2016 की सं. 4867।

डॉ. ए. एम. सिंघवी, गोपाल जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सोनल जैन, ज़रिक दस्तूर,

सुश्री स्नेहा सेठ, इशकरण सिंह, सुश्री अर्चना उप्पुलुरी, सुश्री काजल शर्मा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

श्रीमती माधवी दीवान, एएसजी, केशव ठाकुर, आयुष पुरी, महेश

प्रसाद, शिखर सरदाना, अजय सिंह, बाबू मलयिल, राजेश सिंह चौहान, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी. आर. गवई, जे.

1. अपीलार्थी ने इससे व्यथित होकर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है -

सी. एम. ए. में मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित 1 नवंबर 2017 का निर्णय और आदेश। (एम. डी.) 2016 की सं. 345 और सी. एम. पी. (एम. डी.) 2016 का सं. 4867, जिससे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 (1) (सी) के तहत प्रतिवादी सं. 1 की अपील को अनुमति दी गई (जिसे इसके बाद 'मध्यस्थता अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है), जिसे उच्च न्यायालय ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित 14 फरवरी 2014 के पुरस्कार और जिला [2021] 5 एस. सी. आर. द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायाधीश दिनांक 25 फरवरी 2016, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर आवेदन को खारिज करते हुए।

2. वर्तमान अपीलों के निर्णय के लिए आवश्यक तथ्य हैं:

निम्नानुसार:

प्रतिवादी संख्या 1-वी. ओ. का न्यासी मंडल।

चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन (इसके बाद 'टी. पी. टी.' के रूप में संदर्भित) ने 9 अप्रैल 1997 को एक वैश्विक निविदा जारी की, जिसमें वी. ओ. चिदम्बरनार पोर्ट, तूतीकोरिन में सातवें बर्थ को एक कंटेनर टर्मिनल के रूप में विकसित करने और 30 वर्षों तक इसके संचालन और रखरखाव के लिए बोलियां आमंत्रित की गईं।

(इसके बाद 'एस. आई. सी. ए. एल.' के रूप में संदर्भित) ने 24 अक्टूबर 1997 को अपनी बोली प्रस्तुत की। एस. आई. सी. ए. एल. द्वारा 19 दिसंबर 1997 को वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। चूँकि एस. आई. सी. ए. एल. का प्रस्ताव सबसे अधिक था, इसलिए उसे स्वीकार कर लिया गया और 29 जनवरी 1998 को इसे एक आशय पत्र (इसके बाद 'लो' के रूप में संदर्भित) जारी किया गया था और इसके बाद 15 जुलाई 1998 को एक लाइसेंस समझौता किया गया था।

3. इस बीच, प्रमुख बंदरगाहों के लिए शुल्क प्राधिकरण (इसके बाद 'टीएएमपी' के रूप में संदर्भित) जो प्रमुख के तहत गठित एक प्राधिकरण है पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 ने 26/27 फरवरी 1998 को दिशानिर्देशों को अपनाया। एस. आई. सी. ए. एल. ने 28 सितंबर 1999 को कंटेनर टर्मिनल के संबंध में अपना शुल्क प्रस्ताव प्रस्तुत किया। एस. आई. सी. ए. एल. द्वारा 8 अक्टूबर 1999 को एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें लागत के एक तत्व के रूप में रॉयल्टी को शामिल किया गया। उक्त प्रस्ताव को 8 दिसंबर 1999 के टी. ए. एम. पी. के आदेश द्वारा अनुमोदित किया गया था। टीएएमपी ने 28 दिसंबर 1999 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से 8 दिसंबर 1999 के अपने आदेश को अधिसूचित किया, जिससे 8 अक्टूबर 1999 के प्रस्ताव के अनुसार एस. आई. सी. ए. एल. द्वारा प्रस्तावित शुल्क को मंजूरी दी गई। एस. आई. सी. ए. एल. ने 8 फरवरी 2002 को शुल्क की समीक्षा के लिए एक और प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें लागत के एक तत्व के रूप में भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी में वृद्धि और शुल्क में वृद्धि का प्रस्ताव शामिल था। टी. पी. टी. ने 10 अप्रैल 2002 के संचार के माध्यम से शुल्क में वृद्धि के लिए एस. आई. सी. ए. एल. के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई। टीएएमपी ने 20 सितंबर 2002 के अपने आदेश के माध्यम से शुल्क में वृद्धि के लिए एस. आई. सी. ए. एल. के प्रस्ताव को खारिज कर दिया।

4. एस. आई. सी. ए. एल. ने रिट याचिका संख्या दायर की। 40637-40639 20 तारीख के टी. ए. एम. पी. आदेश को रद्द करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष 2002 का

सितंबर 2002। उक्त कार्यवाही में, मद्रास उच्च न्यायालय ने 8 नवंबर 2002 को एक आदेश पारित किया जिसमें पी. एस. ए. एस. आई. सी. ए. एल. टी. पी. वी. टी. के पक्ष में अंतरिम राहत दी गई।

लिमिटेड। वी. द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ वी. ओ. चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट टुटिकोरिन [बी. आर. गवई, जे.]

एस. आई. सी. ए. एल. ने 20 सितंबर 2002 के टी. ए. एम. पी. आदेश पर रोक लगा दी। उक्त आदेश के अनुसार, एस. आई. सी. ए. एल. को उन याचिकाओं में आक्षेपित टी. ए. एम. पी. आदेश से पहले प्रचलित दर पर शुल्क लेने की अनुमति दी गई थी।

5. जहाजरानी मंत्रालय, भारत सरकार (इसके बाद 'गोल' के रूप में संदर्भित) ने 29 जुलाई 2003 की अधिसूचना के माध्यम से स्पष्ट किया कि राजस्व साझाकरण/रॉयल्टी भुगतान को निर्धारण/लागत के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा।

टी. ए. एम. पी. द्वारा शुल्क का संशोधन और आगे निर्देश दिया कि बाद के बोली दस्तावेजों में इसका स्पष्ट रूप से संकेत दिया जाएगा। 31 मार्च 2005 को, टी. ए. एम. पी. ने संशोधित दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया जिससे रॉयल्टी की अनुमति नहीं दी गई।

लागत का तत्व। हालांकि, इसने यह भी प्रावधान किया कि बी. ओ. टी. मामलों में जहां बोली प्रक्रिया को 29 जुलाई 2003 से पहले अंतिम रूप दिया गया था, शुल्क

गणना में शुल्क निर्धारण के लिए लागत के रूप में रॉयल्टी/राजस्व हिस्से को इस तरह से ध्यान में रखा जाएगा कि इस पर प्रचालक को संभावित नुकसान से बचा जा सके।

रॉयल्टी/राजस्व के हिस्से को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। यह अगले न्यूनतम द्वारा उद्धृत राशि के अधिकतम के अधीन था। बोली लगाने वाला। इसकी अनुमति केवल उस अवधि के लिए दी जानी थी जब तक कि इस तरह की संभावित हानि उत्पन्न होगी। इसने आगे प्रावधान किया कि यह तब लागू नहीं होगा जब रॉयल्टी/राजस्व हिस्से के उपचार पर रियायत समझौते में कोई प्रावधान है।

6. 17 अगस्त 2005 को समझौता ज्ञापन

याचिका सं. लिखें। 40637-40639 2002 से। उक्त एम. ओ. सी. के अनुसार, एस. आई. सी. ए. एल. को 31 मार्च 2005 से पहले की अवधि के लिए शुल्क निर्धारित करते समय रॉयल्टी को लागत में शामिल करने की अनुमति देने के मामले में जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय, जी. ओ. एल. को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना था। यह भी स्पष्ट किया गया कि उसके बाद की अवधि के लिए, नए दिशानिर्देश प्रदान करते हैं - जिस तरीके और तरीके से यह किया जाना है। एम. ओ. सी. ने प्रावधान किया कि प्रस्ताव की प्राप्ति पर, केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी और इसके नीतिगत निर्णय के अनुरूप उचित आदेश पारित करेगी।

चेन्नई कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड (इसके बाद संदर्भित) के मामले में भारत सरकार (इसके बाद 'गोल' के रूप में संदर्भित)

5 अगस्त 2003 को 'सी. सी. टी. एल.') के रूप में और तदनुसार प्रमुख बंदरगाह न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 के तहत एक निर्देश जारी करें। कहा गया है एम. ओ. सी., यह भी

प्रावधान किया गया था कि एस. आई. सी. ए. एल. 1999 के शुल्क का प्रभार लेना जारी रखेगा, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के अनुसार अनुमति दी गई थी, जब तक कि नया शुल्क राजपत्रित नहीं हो जाता। इसमें आगे कहा गया है कि

> लाभ/लाभ, यदि कोई हो, जो एस. आई. सी. ए. एल. ने [2021] 5 एस. सी. आर. के आधार पर प्राप्त नहीं किया है।

2002 के शुल्क को लागू करने के लिए, टी. ए. एम. पी. द्वारा इसकी मात्रा निर्धारित की जाएगी और इस तरह के लाभों/लाभों को प्रस्तावित नए शुल्क में समायोजित/निर्धारित किया जाएगा और इस तरह का भुगतान तीन साल की अवधि में किया जाएगा।

7. उपरोक्त एम. ओ. सी. के अनुसरण में, जी. ओ. एल. ने एक निर्देश जारी किया /

17 अप्रैल 2006 को एस. आई. सी. ए. एल. के मामले में टी. ए. एम. पी. को आदेश। उक्त निर्देश/आदेश के अनुसार, पास थ्रू के रूप में रॉयल्टी के एक हिस्से का दावा करने के लिए एस. आई. सी. ए. एल. के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद एस. आई. सी. ए. एल. ने 18 अप्रैल 2006 को शुल्क निर्धारण के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। टी. ए. एम. पी. ने 23 अगस्त 2006 को एक शुल्क आदेश पारित किया, जिसे 15 सितंबर 2006 को अधिसूचित किया गया, जिसके माध्यम से शुल्क में वृद्धि के लिए एस. आई. सी. ए. एल. के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया।

8. एस. आई. सी. ए. एल. ने 6 अक्टूबर 2006 को टी. पी. टी. को एक लिखित अभ्यावेदन दिया, जिससे लाइसेंस समझौते के अनुच्छेद 14.3 की शर्तों के तहत राहत मांगी गई। उक्त अभ्यावेदन के माध्यम से, एस. आई. सी. ए. एल. ने लाइसेंस समझौते में संशोधन करने का अनुरोध किया ताकि राजस्व साझाकरण विधि और आकस्मिक परिवर्तनों को शामिल किया जा सके।

9. एस. आई. सी. ए. एल. ने रिट याचिका संख्या भी दायर की। 38845 और 9 अक्टूबर 2006 को मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष 2006 का 38846, जिससे 17 अप्रैल 2006 के जी. ओ. एल. निर्देश और 23 अगस्त 2006 के टी. ए. एम. पी. आदेश को चुनौती दी गई। 27 अक्टूबर 2006 को, टी. पी. टी. ने लाइसेंस समझौते में संशोधन के लिए एस. आई. सी. ए. एल. के आवेदन पर इस आधार पर विचार करने से इनकार कर दिया कि उठाए गए मुद्दे मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन थे। 27 अक्टूबर 2006 के उक्त संचार को एस. आई. सी. ए. एल. द्वारा 2006 की रिट याचिका No.43461 के माध्यम से मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने 21 तारीख को एक आदेश पारित किया

अगस्त 2007 में एस. आई. सी. ए. एल. द्वारा दायर 2006 की रिट याचिका संख्या 43461 में कहा गया कि 6 अक्टूबर 2006 के अभ्यावेदन का उक्त रिट याचिका के लंबित होने से कोई लेना-देना नहीं है और 27 अक्टूबर 2006 के संचार को रद्द कर दिया गया। इसने टी. पी. टी. को एस. आई. सी. ए. एल. के प्रतिनिधित्व पर अपने गुण-दोष के आधार पर विचार करने और निर्णय लेने का निर्देश दिया। 10. 22 अगस्त 2007 के बाद के आदेश के अनुसार, रिट याचिका संख्या। 38845 और 2006 के 38846 को टीएएमपी को अलग करके अनुमति दी गई थी।

23 अगस्त 2006 का आदेश और 17 अप्रैल 2006 का जी. ओ. एल. निर्देश। उक्त आदेश इस आधार पर पारित किया गया था कि एस. आई. सी. ए. एल. को टी. ए. एम. पी. और जी. ओ. एल.

द्वारा सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था और इसलिए, टी. ए. एम. पी. और जी. ओ. एल. को एस. आई. सी. ए. एल. को सुनवाई का अवसर देने के बाद नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया था।

पी. एस. ए. एस. आई. सी. ए. एल. टर्मिनल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ वी. ओ. चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट टुटिकोरिन [बी. आर. गवई, जे.]

11. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में, जी. ओ. एल. ने 20 फरवरी 2008 को एक निर्देश जारी किया, जिसमें एस. आई. सी. ए. एल. की ओर से उठाई गई दलीलें। उक्त निर्देश में प्रावधान किया गया है कि टी. ए. एम. पी. को एस. आई. सी. ए. एल. के मामले में शुल्क तय करते समय सी. सी. टी. एल. के मामले में दिए गए लाभ को ध्यान में रखना चाहिए।

12. टीएएमपी ने 26 फरवरी 2008 की अधिसूचना के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए अग्रिम शुल्क निर्धारण के लिए दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया

प्रमुख बंदरगाहों पर।

13. उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21 तारीख को पारित आदेश के अनुसरण में

अगस्त 2007 में, टी. पी. टी. के अध्यक्ष ने 25 अप्रैल 2008 को एक आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि बोली मानदंड में कोई भी बदलाव नीति का विषय है जिसके बारे में निर्णय केवल जी. ओ. एल. द्वारा लिया जा सकता है और प्रभावी रूप से, लाइसेंस समझौते में संशोधन के लिए एस. आई. सी. ए. एल. के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, ताकि राजस्व साझाकरण विधि को शामिल किया जा सके। 14. इसके बाद एस. आई. सी. ए. एल. ने शुल्क निर्धारण के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया और 3 अक्टूबर 2008 को शुल्क में वृद्धि का प्रस्ताव रखा। टीएएमपी

शुल्क में वृद्धि के लिए एस. आई. सी. ए. एल. के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए 17 दिसंबर 2008 को शुल्क आदेश पारित किया गया, जिसे 30 दिसंबर 2008 को अधिसूचित किया गया। इसके बाद 6 जनवरी 2009 को एस. आई. सी. ए. एल. ने अनुच्छेद 14.3 को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस समझौते में संशोधन के लिए टी. पी. टी. को एक अभ्यावेदन दिया। एस. आई. सी. ए. एल. ने रिट याचिका संख्या भी दायर की। 1350 और 2009 का 1351,17 दिसंबर 2008 के शुल्क आदेश और 20 फरवरी 2008 के जी. ओ. एल. द्वारा जारी नीतिगत निर्देश को चुनौती देता है। मद्रास उच्च न्यायालय ने 15 अक्टूबर 2009 के आदेश के माध्यम से 2008 के शुल्क आदेश और 20 फरवरी 2008 के जी. ओ. एल. निर्देश को दरकिनार करते हुए उन याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। उक्त आदेश के माध्यम से, मद्रास उच्च न्यायालय ने टी. ए. एम. पी. को एस. आई. सी. ए. एल. से आवश्यक प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद और एस. आई. सी. ए. एल. को व्यक्तिगत सुनवाई सहित पर्याप्त अवसर के बाद नया शुल्क आदेश जारी करने का निर्देश दिया। 2008 के जी. ओ. एल. निर्देश को भी एस. आई. सी. ए. एल. को सुनवाई का अवसर देने के बाद जी. ओ. एल. को मामले पर नए सिरे से विचार करने के निर्देश के साथ अलग कर दिया गया। उक्त आदेशों को टीएएमपी द्वारा दाखिल करके चुनौती दी गई है।

2009 की रिट अपील सं. 1845 जो लंबित है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि एस. आई. सी. ए. एल. द्वारा एक अपील भी दायर की गई है जो मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष भी लंबित है।

15. इसके बाद एस. आई. सी. ए. एल. ने 1 तारीख को टी. पी. टी. को एक पत्र लिखा

दिसंबर 2009 में, कानून में बदलाव का आधार उठाया गया और इसलिए फिर से राजस्व साझाकरण मॉडल पर स्थानांतरित करने के लिए प्रार्थना की गई। एक बैठक आयोजित की गई [2021] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सचिव, जहाजरानी मंत्रालय, जी. ओ. एल. द्वारा 28 फरवरी 2011 को, जिसमें टी. पी. टी. और एस. आई. सी. ए. एल. के प्रतिनिधि उपस्थित थे। यह तय किया गया था कि

उक्त बैठक में कहा गया कि एस. आई. सी. ए. एल. और टी. पी. टी. द्वारा दो-दो प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इन प्रस्तावों पर विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाना था।

16. इसके बाद एस. आई. सी. ए. एल. ने 28 जून 2011 को जिला न्यायाधीश, तूतीकोरिन के समक्ष मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत एक याचिका दायर की।

एक शिकायत कि प्रत्येक बीस फुट समतुल्य इकाई (इसके बाद "टी. ई. यू". के रूप में संदर्भित) के लिए देय रॉयल्टी शुल्क से अधिक निर्धारित थी। 30 जून 2011 को, तूतीकोरिन के जिला न्यायाधीश ने धारा 9 की याचिका पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश पारित किया, जिससे टी. पी. टी. को बढ़ी हुई दर पर किसी भी रॉयल्टी की मांग या वसूली करने से रोक दिया गया। जुलाई 2011 में एस. आई. सी. ए. एल. ने अध्यक्ष, टी. पी. टी. को एक पत्र संबोधित किया जिसमें लाइसेंस समझौते के अनुच्छेद 15.3 के तहत विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने का अनुरोध किया गया था। उक्त अनुरोध को अध्यक्ष, टी. पी. टी. द्वारा दिनांक 28 सितंबर 2011 के संचार के माध्यम से अस्वीकार कर दिया गया।

17. इस बीच, एस. आई. सी. ए. एल. और टी. पी. टी. द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जा रहा था। 30 अप्रैल को

2012 , जिला न्यायाधीश, तूतीकोरिन ने एक आदेश पारित किया जिससे एस. आई. सी. ए. एल. द्वारा दायर धारा 9 याचिका को स्वीकार कर लिया गया और इसके पक्ष में दिए गए विज्ञापन-अंतरिम निषेधाज्ञा को पूर्ण कर दिया। इसके बाद, बढ़ी हुई दर पर प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा करने के संबंध में एस. आई. सी. ए. एल. और टी. पी. टी. के बीच कुछ संचारों का आदान-प्रदान हुआ। इस बीच, टी. पी. टी. ने सी. एम. ए. के रूप में अपील दायर करके जिला न्यायाधीश द्वारा दिए गए निषेधाज्ञा के आदेश को चुनौती दी। (एम. डी.) 2012 की सं. 1131 और वही है मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के समक्ष विचाराधीन। एस. आई. सी. ए. एल. ने 19 नवंबर 2012 को एक पत्र संबोधित किया, जिसमें लाइसेंस समझौते के अनुच्छेद 15.3 के तहत मध्यस्थता खंड का आह्वान किया गया। इस बीच, 8 अगस्त 2013 को टीएएमपी ने प्रमुख बंदरगाहों पर परियोजनाओं के लिए शुल्क निर्धारण के लिए 2013 के दिशानिर्देश जारी किए।

18. 5 अप्रैल 2013 को एस. आई. सी. ए. एल. ने मध्यस्थता कार्यवाही में अपना दावा बयान दायर किया। टीएएमपी ने जून 2013 में अपना जवाबी बयान दायर किया।

जिस पर एस. आई. सी. ए. एल. द्वारा 28 जून 2013 को प्रत्युत्तर में एक बयान दायर किया गया। टी. पी. टी. ने अगस्त 2013 में प्रत्युत्तर के लिए अपना जवाब दाखिल किया। 14 फरवरी 2014 के निर्णय के माध्यम से, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने एस. आई. सी. ए. एल. के पक्ष में यह निर्णय देते हुए

निर्णय पारित किया कि कानून में बदलाव हुआ है और इस तरह एस. आई. सी. ए. एल. द्वारा अनुरोध के अनुसार राहत प्रदान की गई है। इसने रूपांतरण का निर्देश दिया रॉयल्टी मॉडल से लेकर राजस्व हिस्सेदारी मॉडल तक टी. पी. टी. का कंटेनर टर्मिनल।

पी. एस. ए. एस. आई. सी. ए. एल. टर्मिनल्स पी. वी. टी.। लिमिटेड। वी. द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ वी. ओ. चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट टुटिकोरिन [बी. आर. गवई, जे.]

कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत टी. पी. टी. द्वारा दायर याचिका अधिकारिता के आधार पर मान्य नहीं था। इस प्रकार टी. पी. टी. ने 30 जून 2015 को अपनी धारा 34 याचिका को जिला न्यायाधीश, तूतीकोरिन के समक्ष फिर से प्रस्तुत किया, जो 2015 का Ar.O.P. संख्या 260 है। जिला न्यायाधीश, तूतीकोरिन आदेश के माध्यम से

दिनांक 25 फरवरी 2016 को टी. पी. टी. द्वारा दायर धारा 34 याचिका को खारिज कर दिया गया। इससे व्यथित होकर, टी. पी. टी. ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की, जिसे 1 नवंबर 2017 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई, जिसके अनुसार 14 फरवरी 2014 के मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय और 25 फरवरी 2016 के जिला न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया। इससे व्यथित होकर एस. आई. सी. ए. एल. ने वर्तमान अपीलों के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

20. हमने अपीलार्थी-एस. आई. सी. ए. एल. की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. ए. एम. सिंघवी और श्री गोपाल जैन को सुना है। सुश्री माधवी दीवान, भारत की अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और श्री केशव ठाकुर, टी. पी. टी. की ओर से विद्वान वकील थे।

21. डॉ. सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि लाइसेंस समझौते के अनुच्छेद 14 में विशेष रूप से यह प्रावधान है कि यदि समझौते की तारीख के बाद, एक

कानून में परिवर्तन जो उक्त समझौते के तहत लाइसेंसधारी के अधिकारों को काफी हद तक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, ताकि परियोजना की वाणिज्यिक व्यवहार्यता में बदलाव हो, लाइसेंसधारी लिखित सूचना द्वारा समझौते की शर्तों में संशोधन का अनुरोध कर सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अनुच्छेद 14 में कानून की परिभाषा काफी व्यापक है और इसमें कोई भी वैध अधिनियम, अध्यादेश, नियम, विनियमन, अधिसूचना, निर्देश, आदेश, नीति, उपनियम, प्रशासनिक दिशानिर्देश, सरकारी प्राधिकरण द्वारा अधिनियमित या जारी किए गए कानून के बल वाले निर्णय या निर्देश शामिल हैं। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि अनुच्छेद 14.3 में यह भी प्रावधान है कि अनुच्छेद 15.3 के प्रावधानों के अधीन, लाइसेंसधारी कानून में परिवर्तन के परिणामस्वरूप लाइसेंसधारक से किसी भी तरह के मुआवजे का हकदार नहीं होगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि अनुच्छेद 14.3 को सही परिप्रेक्षय में पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट होगा कि कानून में किसी भी बदलाव के कारण लाइसेंसधारी को मुआवजा प्रदान नहीं किया जाता है क्योंकि [2021] 5 एस. सी. आर. में उपयुक्त संशोधन करके लाइसेंसधारी को राहत प्रदान की जा सकती है।

समझौते की शर्तें जब इस तरह का परिवर्तन लाइसेंसधारी के अधिकारों को काफी हद तक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त अनुच्छेद एक अद्वितीय है। 22. डॉ. सिंघवी ने कहा कि न्हावा शेवा कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड (इसके बाद 'एन. एस. सी. टी.' के रूप में संदर्भित) पहली परियोजना थी।

टी. पी. टी. के रुख से, जब 1999 में एस. आई. सी. ए. एल. द्वारा शुल्क में वृद्धि के लिए प्रस्ताव पेश किया गया था, तो यह भी समझ में आया कि शुल्क को अंतिम रूप देते समय रॉयल्टी को भी शामिल किया जाना था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि 8 दिसंबर 1999 के टैरिफ आदेश के अवलोकन से पता चलेगा कि टीएएमपी ने भी रॉयल्टी को पास थ्रू के रूप में अनुमति दी है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि 1998 के दिशानिर्देश यह भी स्पष्ट करेंगे कि यह टीएएमपी की नीति थी कि बंदरगाह मूल्य निर्धारण वापसी की सुनिश्चित दर के साथ लागत आधारित बना रहना था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त दिशानिर्देश वापसी की एक सुनिश्चित दर प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि टी. पी. टी. ने वास्तव में 3 नवंबर 1999 को टी. ए. एम. पी. को संबोधित संचार के माध्यम से किसी भी कटौती का विरोध किया था।

23. डॉ. सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि कानून में पहला परिवर्तन 29 जुलाई 2003 के जी. ओ. एल. के आदेश के माध्यम से किया गया था, जिसके द्वारा रॉयल्टी को एक पास के रूप में अनुमति दी गई थी। कानून में दूसरा बदलाव 31 मार्च 2005 को किया गया था, जिसके द्वारा रॉयल्टी को पास थ्रू के रूप में अनुमति दी गई थी, हालांकि, इसे अगले सबसे कम बोली लगाने वाले द्वारा उद्धृत राशि के अधिकतम तक सीमित कर दिया गया था। इसलिए उन्होंने प्रस्तुत किया कि कानून में इन परिवर्तनों के कारण, एस. आई. सी. ए. एल. लाइसेंस समझौते के संशोधन से राहत पाने का हकदार था और टी. पी. टी. द्वारा राहत प्रदान करने में विफलता पर, एस. आई. सी. ए. एल. मध्यस्थता का आह्वान करने का हकदार था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि हालांकि टी. पी. टी. को कई अभ्यावेदन दिए गए थे, लेकिन उनका जवाब नहीं दिया गया था और इस तरह, एस. आई. सी. ए. एल. के पास मध्यस्थता खंड को लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा इसका सही अर्थ लगाया गया है। हालांकि, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष में गलती से हस्तक्षेप किया है जिसे जिला न्यायाधीश ने बरकरार रखा था।

24. डॉ. सिंघवी ने आगे कहा कि एस. आई. सी. ए. एल. को बहुत ही अनिश्चित स्थिति में डाल दिया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक ओर वार्षिक वृद्धि के आधार पर टी. पी. टी. को रॉयल्टी का भुगतान करना आवश्यक है, हालांकि प्रशुल्क पी. एस. ए. एस. आई. सी. ए. एल. टी. पी. वी. टी.।

लिमिटेड। वी. द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ वी. ओ. चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट टुटिकोरिन [बी. आर. गवई, जे.]

यदि ऐसी स्थिति को जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो यह एस. आई. सी. ए. एल. को काफी हद तक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पृष्ठ संख्या 1132 पर एक चार्ट से पता चलता है कि एस. आई. सी. ए. एल. को रु. का सकल नुकसान होगा। 2250 करोड़। उन्होंने आगे कहा कि टीएएमपी और भारत सरकार ने भेदभावपूर्ण तरीके से काम किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जब एन. एस. सी. टी. के मामले में, एक पूर्ण पास अब तक रॉयल्टी का संबंध है, इसकी अनुमति है, एस. आई. सी. ए. एल. के मामले में इसे अस्वीकार कर दिया जाता है।

25. डॉ. सिंघवी ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं और एक याचिका में दायर एम. ओ. सी. को संदर्भित करने में घोर गलती की है।

शुल्क के निर्धारण के लिए। हालांकि, मध्यस्थता की कार्यवाही कानून में बदलाव के बारे में थी जिसने पारित होने की अनुमति देने की नीति को बदल दिया। रॉयल्टी के माध्यम से जाने से इनकार करने के लिए रॉयल्टी। जबकि टी. ए. एम. पी. के समक्ष कार्यवाही शुल्क निर्धारण से संबंधित है। उन्होंने आगे कहा कि उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही 2013 से पहले की अवधि से संबंधित है, जबकि वर्तमान कार्यवाही उस राहत से संबंधित है जिसका एस. आई. सी. ए. एल. कानून में बदलाव के कारण समझौते के अनुच्छेद 14 के तहत हकदार है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एस. आई. सी. ए. एल. को संपर्क करने के लिए मजबूर किया गया था

चूंकि 2011-12 में, टी. पी. टी. को देय रॉयल्टी ने शुल्क को पार कर दिया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एम. ओ. सी. के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया तर्क केवल टी. पी. टी. द्वारा दिया गया एक मौखिक तर्क था और अभिवचनों का हिस्सा नहीं था।

26. डॉ. सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि धारा 34 के तहत एक आवेदन में और धारा 37 के तहत दायर अपील में हस्तक्षेप की गुंजाइश बहुत सीमित है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जब तक मध्यस्थ द्वारा दर्ज किया गया कोई निष्कर्ष विकृति नहीं है, तब तक हस्तक्षेप की भी आवश्यकता नहीं होगी। धारा 34 या धारा 37 के तहत। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जिला न्यायाधीश ने धारा 34 के आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया था। उन्होंने आगे कहा कि उच्च न्यायालय की ओर से धारा 37 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए मध्यस्थ [2021] 5 एस. सी. आर. के एक सुविचारित निर्णय में हस्तक्षेप करना गलत था।

न्यायाधिकरण। वह अपने समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों पर निर्भर करता है।

प्रस्तुतियाँः

एमएमटीसी लिमिटेड बनाम। वेदांता लिमिटेड 1, एसोसिएट बिल्डर्स बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण, झारखंड राज्य और अन्य बनाम।

एच. एस. एस. एकीकृत एस. डी. एन. और अन्य 3, सुमितोमो हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, गुणवत्ता

विनिर्माण निगम बनाम। केंद्रीय गोदाम निगम ',

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड बनाम। दीवान चंद राम सरन ', स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम। गुप्ता ब्रदर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड ', प्योर हीलियम इंडिया (पी) लिमिटेड बनाम। तेल और प्राकृतिक गैस निगम

लिमिटेड 3, पी. वी. सुब्बा नायडू और अन्य बनाम। ए. पी. और अन्य की सरकार, धनलाल बनाम। कलावती बाई और अन्य ", स्वामी

आत्मानंद और अन्य बनाम। श्री रामकृष्ण तपोवनम और अन्य 1 1 और ट्रान्सकोर v. भारत संघ और अन्य 1 2.

27. डॉ. सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक अनुबंधों के UNIDROIT सिद्धांत व्याख्या के नियम प्रदान करते हैं अनुबंध। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त सिद्धांतों में यह प्रावधान है कि एक अनुबंध की व्याख्या पक्षों के सामान्य इरादे के अनुसार की जाएगी। यह केवल तभी होगा जब इरादा स्थापित नहीं किया जा सकता है कि अनुबंध की व्याख्या इस अर्थ के अनुसार की जाएगी कि एक पक्ष के रूप में उसी तरह का एक उचित व्यक्ति, उसी परिस्थितियों में इसे देगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अनुच्छेद 14 के अवलोकन के साथ-साथ पक्षों के आचरण से, यह स्पष्ट है कि पक्षों का इरादा था कि यदि लाइसेंसधारी के नुकसान के लिए कानून में कोई बदलाव किया गया था, तो लाइसेंसधारी अनुबंध में संशोधन करके लाइसेंसधारक से राहत पाने का हकदार था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस तरह के इरादे को इस तथ्य से स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी घटना में, लाइसेंसधारी किसी भी मुआवजे का दावा करने का हकदार नहीं था। इस संबंध में विद्वान वरिष्ठ वकील दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसलों पर निर्भर करते हैं।

1 (2019) 4 एससीसी 163

2 (2015) 3 एससीसी 49

4 (2010) 11 एस. सी. सी. 296 5 (2009) 5 एस. सी. सी. 142

6 (2012) 5 एस. सी. सी. 303

1 (2009) 10 एससीसी 63

8 (2003) 8 एस. सी. सी. 593

9 (1998) 9 एससीसी 407

11 (2005) 10 एस. सी. सी 51

12 (2008) 1 एस. सी. सी. 125 पी. एस. ए. एस. आई. सी. ए. एल. टी. पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ वी. ओ. चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट टुटिकोरिन [बी. आर. गवई, जे.]

सैंडविक एशिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम। वर्धमान प्रवर्तक और हंसालय प्रॉपर्टीज बनाम। डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड 1 4.

28. डॉ. सिंघवी ने आगे कहा कि समझौते को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। उनके प्रस्तुतिकरण में, जबकि अनुच्छेद 10.8,13.4। 7 और 13.4। 8 लाइसेंसधारक के निर्णय को बाध्यकारी बनाना, अनुच्छेद 14 इसे प्रदान नहीं करता है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 14 इस मायने में अद्वितीय है कि यह संतुलन की बहाली का प्रावधान करता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि न्यायाधिकरण के पास दो विकल्प थे या तो पास थ्रू देने या राजस्व साझा करने के लिए। यदि उसने उनमें से किसी एक को चुना है, तो भले ही इसे एक संभावित दृष्टिकोण माना जाए, उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

29. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल जैन ने कहा कि दीर्घकालिक अनुबंधों के लिए आर्थिक व्यवहार्यता प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 14 को उक्त उद्देश्य के लिए एक अंतर्निहित सुरक्षा के रूप में प्रदान किया गया था। अदानी पावर (मुंद्रा) लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए। गुजरात विद्युत नियामक आयोग और अन्य 1 5, उन्होंने

प्रस्तुत किया कि व्यावसायिक अनुबंधों का अर्थ लगाते समय, व्यावसायिक प्रभावकारिता एक प्रासंगिक विचार है जिस पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा विचार किया गया है और इस तरह, हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। 30. श्रीमती. दीवान, विद्वान ए. एस. जी. ने प्रस्तुत किया कि एस. आई. सी. ए. एल. द्वारा किया गया वित्तीय प्रस्ताव 19 दिसंबर 1997 को किया गया था, यानी इससे बहुत पहले।

1998 दिशा-निर्देश प्रकाशित होने लगे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह अकल्पनीय है कि 1997 में एस. आई. सी. ए. एल. द्वारा उद्धृत दरें उन दिशानिर्देशों के आधार पर थीं जो पहली बार वर्ष 1998 में प्रकाशित किए गए थे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त दिशानिर्देशों में भी पास थ्रू के रूप में रॉयल्टी की अनुमति देने का प्रावधान नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि बोली प्रस्तुत करते समय, एस. आई. सी. ए. एल. ने रियायत अवधि के दौरान टी. पी. टी. को देय रॉयल्टी के आधार पर बोली प्रस्तुत की है।

31. श्रीमती. दीवान ने आगे कहा कि एस. आई. सी. ए. एल. अप्रूबेट और रिप्रोबेट के आचरण में लिप्त है। उसने प्रस्तुत किया कि जबकि उसके द्वारा दायर रिट याचिकाओं में, एस. आई. सी. ए. एल. ने एक विशिष्ट रुख अपनाया है कि दिशानिर्देशों में कानून का बल नहीं है, अब यह पलट गया है और मध्यस्थता कार्यवाही में एक रुख लिया है कि यह कानून में बदलाव के बराबर है। उन्होंने आगे कहा कि जिस तारीख को मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू की गई थी, उस तारीख को एस. आई. सी. ए. एल. के पक्ष में रिट कार्यवाही में शुल्क आदेश पहले ही रद्द कर दिए गए थे और केवल इसे लेने की दृष्टि से।

13 2007 (94) डी. आर. जे 762 14 1 4 2008 (106) डी. आर. जे 820

दोहरा लाभ, एस. आई. सी. ए. एल. ने मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की है। उन्होंने आगे कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के कारण, 1999 का शुल्क आदेश अभी भी लागू है, जिससे भारी नुकसान हो रहा है। एस. आई. सी. ए. एल. को अनुचित लाभ। उन्होंने कहा कि एस. आई. सी. ए. एल. के आचरण पर भी विचार करने की आवश्यकता है। हालांकि 2005 में दायर एम. ओ. सी. के अनुसार, एस. आई. सी. ए. एल. को टी. पी. टी. की भरपाई करने की आवश्यकता थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। इसलिए उन्होंने कहा कि एक ओर एस. आई. सी. ए. एल. न्यायालय के आदेशों का लाभ उठा रहा है और दूसरी ओर एम. ओ. सी. में निर्धारित दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, जिसके आधार पर उच्च न्यायालय ने रिट याचिका का निपटारा किया है।

32. श्रीमती. दीवान ने कहा कि एस. आई. सी. ए. एल. के मामले में पारित तीसरे शुल्क आदेश को भी मद्रास उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। जो डिवीजन बेंच के समक्ष लंबित है। उन्होंने आगे कहा कि धारा 9 की कार्यवाही में पारित एक आदेश के कारण, टी. पी. टी. को एस. आई. सी. ए. एल. से बहुत कम राशि मिल रही है।

33. श्रीमती. दीवान ने आगे कहा कि पुरस्कार द्वारा न्यायाधिकरण ने अनुबंध की शर्तों के पूर्ण प्रतिस्थापन के लिए प्रावधान किया है।

दलों को। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जब पक्षों के बीच समझौता रॉयल्टी पद्धति पर आधारित था, तो न्यायाधिकरण ने एक प्रतिस्थापन द्वारा, राजस्व साझाकरण विधि प्रदान की है। उसने प्रस्तुत किया कि यह कानून में बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। एक पक्ष को उसकी इच्छाओं के खिलाफ एक नए अनुबंध के साथ प्रभावित नहीं किया जा सकता है। श्रीमती. दीवान ने आगे कहा कि एस. आई. सी. ए. एल. ने रिट याचिका दायर करने के उपायों को चुना/लाभ उठाया है, उसी राहत के लिए नहीं कर सकता है।

कानून में तथाकथित परिवर्तन के कारण मध्यस्थता कार्यवाही का आह्वान करें। इसलिए उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने उचित रूप से विचार किया है

वैसा ही करें और पुरस्कार को अलग रखें। श्रीमती. दीवान ने अपनी दलीलों के समर्थन में इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया।

रघुनाथराव गणपतराव बनाम। भारत संघ ", नागुबाई

अम्मल और अन्य बनाम। बी. शमा और अन्य ", सुरेश कुमार वाधवा बनाम। मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, अखिल भारतीय पावर इंजीनियर फेडरेशन और अन्य बनाम। सासन पावर लिमिटेड और अन्य ", राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड बनाम। चौगुले ब्रदर्स और अन्य 20, दक्षिण पूर्व एशिया मरीन इंजीनियरिंग और

16 (1994) 1 एस. सी. सी. सप 191

18 (2017) 16 एस. सी. सी. 757 19 (2017) 1 एससीसी 487

20 (2010) 8 एस. सी. सी. 563 पी. एस. ए. एस. आई. सी. ए. एल. पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ वी. ओ. चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट टुटिकोरिन [बी. आर. गवई, जे.]

उन्होंने स्वयं उच्च न्यायालय के समक्ष कहा है कि उक्त दिशा-निर्देशों में कानून की शक्ति होगी। इसलिए उन्होंने प्रस्तुत किया कि एस. आई. सी. ए. एल. कानून में अनुच्छेद 14 को लागू करने का अधिकार है क्योंकि कानून में परिवर्तन हुआ था जो लाइसेंसधारी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

35. डॉ. सिंघवी ने आगे कहा कि श्रीमती का तर्क। दीवान कि निर्भरता एस. आई. सी. ए. एल. द्वारा पहले के लिए कानून के परिवर्तन पर रखी गई है

2013 में समय, तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि 2006 से एस. आई. सी. ए. एल. अनुच्छेद 14 के तहत राहत देने के लिए टी. पी. टी. को अभ्यावेदन दे रहा है। श्रीमती के प्रस्तुतिकरण का विरोध करने के लिए। दीवान ने कहा कि एस. आई. सी. ए. एल. की बोली दिसंबर 1997 में लगाई गई थी, उन्होंने कहा कि हालांकि बोली दिसंबर 1997 में लगाई गई थी, लेकिन समझौता जुलाई 1998 में किया गया था, जब दिशानिर्देश फरवरी 1998 से पहले ही लागू हो चुके थे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि टी. पी. टी. द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का अवलोकन

सचिव, जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय, जी. ओ. एल. द्वारा आयोजित बैठक से पता चलता है कि टी. पी. टी. के साथ-साथ इसके सलाहकार भी इसके लिए सहमत हुए थे।

राजस्व हिस्सेदारी मॉडल। उन्होंने दोहराया कि उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही केवल टीएएमपी के आदेशों तक ही सीमित थी और इसका कानून में बदलाव से कोई लेना-देना नहीं था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि श्रीमती द्वारा उद्धृत कोई भी मामला कानून नहीं है। दीवान एक खंड को अनुच्छेद 14 के अनुरूप मानते हैं और इसलिए, उक्त मामले वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव के सिद्धांत के संबंध में तर्क भी आधारहीन है। 36. पक्षों के विद्वान वकील की सहायता से, हमने अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों का अध्ययन किया है। हालांकि विभिन्न

इस न्यायालय के साथ-साथ कुछ उच्च न्यायालयों के निर्णयों को दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा उद्धृत किया गया है, हमें यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं लगता है

21 (2020) 5 एससीसी 164 22 (2011) 5 एस. सी. सी. 758

23 (2011) 15 एससीसी 101

24 (2019) 15 एससीसी 131 [2021] 5 एस. सी. आर.

उन सभी के लिए। हमारे विचार में, इस न्यायालय के कुछ हाल के फैसलों का संदर्भ पर्याप्त होगा।
37. इस न्यायालय की एक पीठ, जिसमें हममें से एक (आर. एफ. नरीमन, जे.) एक पक्षकार थे, ने इस मामले में इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर विचार किया है।

एसोसिएट बिल्डर्स (ऊपर)।

38. इस न्यायालय की एक और पीठ, जिस पर हम में से एक (आर. एफ.

नरीमन, जे.) एक पक्षकार थे, जिन्होंने इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर विचार किया है, जिसमें एसोसिएट बिल्डर्स (उपरोक्त) में निर्णय और सांगयोंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम के मामले में मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 का प्रभाव शामिल है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ", जिसका हम जल्द ही उल्लेख करेंगे।

39. इससे पहले, एम. एम. टी. सी. लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करना उचित होगा, जिसमें इस न्यायालय ने

भारत में मध्यस्थता निर्णय में हस्तक्षेप के दायरे के संबंध में कानून की स्थिति पर पुनर्विचार किया।

40. एम. एम. टी. सी. लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगाः

" 11. जहाँ तक धारा 34 का संबंध है, स्थिति अब तक अच्छी तरह से तय हो चुकी है क्योंकि न्यायालय मध्यस्थता पर अपील में नहीं बैठता है। पुरस्कार और धारा 34 (2) (बी) (ii) के तहत प्रदान किए गए सीमित आधार पर योग्यता पर हस्तक्षेप कर सकता है, यानी यदि पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के खिलाफ है। निर्णयों के माध्यम से स्पष्ट कानूनी स्थिति के अनुसार

2015 में 1996 के अधिनियम में संशोधन से पहले इस न्यायालय द्वारा भारतीय सार्वजनिक नीति के उल्लंघन में भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन, भारतीय कानून के हितों का उल्लंघन शामिल है।

भारत, न्याय या नैतिकता के साथ संघर्ष, और मध्यस्थता पुरस्कार में पेटेंट अवैधता का अस्तित्व। इसके अतिरिक्त, "भारतीय कानून की मौलिक नीति" की अवधारणा में कानूनों और न्यायिक उदाहरणों का अनुपालन, न्यायिक दृष्टिकोण अपनाना, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन शामिल होगा।

सदन v. वेड्सबरी कॉर्प. , (1948) 1 के. बी. 223 (सी. ए.)] तर्कसंगतता। इसके अलावा, "पेटेंट अवैधता" अपने आप में है भारत के मूल कानून का उल्लंघन माना जाता है,

1996 के अधिनियम का उल्लंघन, और की शर्तों का उल्लंघन

अनुबंध।

25 (2019) 15 एस. सी. सी. 131 एस. आई. सी. ए. एल. टर्मिनल्स पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ वी. ओ. चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट टुटिकोरिन [बी. आर. गवई, जे.]

12. यह केवल तभी है जब इनमें से किसी एक शर्त को पूरा किया जाता है कि न्यायालय धारा 34 (2) (बी) (ii) के संदर्भ में मध्यस्थता पुरस्कार में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन इस तरह के हस्तक्षेप में मध्यस्थता के गुण-दोष की समीक्षा शामिल नहीं है।

विवाद, और उन स्थितियों तक सीमित है जहां मध्यस्थ के निष्कर्ष मनमाने, मनमौजी या विकृत हैं, या जब न्यायालय की अंतरात्मा को झटका लगता है, या जब अवैधता नहीं है

तुच्छ लेकिन मामले की जड़ तक जाता है। यदि मध्यस्थ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण तथ्यों के आधार पर एक संभावित दृष्टिकोण है तो मध्यस्थता निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। (एसोसिएट बिल्डर्स बनाम देखें। डीडीए [एसोसिएट]

कार्बनीकरण, (2006) 4 एस. सी. सी. 445] और मैकडरमोट इंटरनेशनल इंक. बनाम। बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड [मैकडरमोट इंटरनेशनल इंक. वी. बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड, (2006) 11 एससीसी 181])

13. यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि धारा 34 में 2015 के संशोधन के बाद, उपरोक्त स्थिति कुछ हद तक संशोधित है। धारा 34 (2) में स्पष्टीकरण 1 को सम्मिलित करने के अनुसरण में, भारतीय सार्वजनिक नीति के उल्लंघन को संशोधित किया गया है

इस हद तक कि अब इसका अर्थ पुरस्कार देने में धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार, अधिनियम की धारा 75 या धारा 81 का उल्लंघन है, भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन, और न्याय या नैतिकता की सबसे बुनियादी धारणाओं के साथ टकराव। इसके अतिरिक्त, धारा 34 में उप-धारा (2-ए) जोड़ी गई है, जिसमें प्रावधान है कि घरेलू मध्यस्थता के मामले में, भारतीय जनता का उल्लंघन होता है।

14. जहां तक धारा 37 के अनुसार धारा 34 के तहत किए गए आदेश में हस्तक्षेप का संबंध है, यह विवादित नहीं हो सकता है कि धारा 37 के तहत इस तरह का हस्तक्षेप धारा 34 के तहत निर्धारित प्रतिबंधों से परे नहीं जा सकता है। दूसरे शब्दों में, अदालत नहीं कर सकती है पुरस्कार के गुणों का एक स्वतंत्र मूल्यांकन करना चाहिए, और केवल यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धारा 34 के तहत अदालत द्वारा शक्ति का प्रयोग प्रावधान के दायरे से अधिक नहीं है।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि यदि धारा 34 के तहत अदालत द्वारा और धारा 37 के तहत अपील में अदालत द्वारा मध्यस्थता पुरस्कार की पुष्टि की गई है, तो इस अदालत को इस तरह के समवर्ती निष्कर्षों को बाधित करने के लिए बेहद सतर्क और धीमा होना चाहिए।

1. सांगयोंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी में

टेड (ऊपर), इस न्यायालय ने एसोसिएट बिल्डर्स (ऊपर) में पहचान सहित विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के बाद इस प्रकार टिप्पणी की:

" 34. इसलिए जो बात स्पष्ट है, वह यह है कि "सार्वजनिक नीति" अभिव्यक्ति भारत की ", चाहे वह धारा 34 में निहित हो या धारा 48 में, अब इसका अर्थ" भारतीय कानून की मौलिक नीति "होगा जैसा कि इसमें समझाया गया है।

एसोसिएट बिल्डरों के पैरा 18 और 27 [एसोसिएट]

बिल्डर्स वी। डी. डी. ए. (2015) 3 एस. सी. सी. 49: (2015) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 204] अर्थात

भारतीय कानून की मौलिक नीति को हटा दिया जाएगा

“ रेनुसागर "इस अभिव्यक्ति की समझ। यह होगा अनिवार्य रूप से इसका अर्थ है कि पश्चिमी गेको [ओ. एन. जी. सी. बनाम। पश्चिमी गेको

इंटरनेशनल लिमिटेड (2014) 9 एस. सी. सी. 263: (2014) 5 एस. सी. सी. (सी. वी.) 12]

विस्तार को समाप्त कर दिया गया है। संक्षेप में, पश्चिमी

गेको [ओएनजीसी बनाम। वेस्टर्न गेको इंटरनेशनल लिमिटेड (2014) 9 एस. सी. सी. 263: (2014) 5 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 12], जैसा कि एसोसिएट बिल्डर्स के पैरा 28 और 29 में समझाया गया है। डी. डी. ए. (2015) 3 एस. सी. सी. 49: (2015) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 204], अब इस आधार पर किसी पुरस्कार में हस्तक्षेप करने की आड़ में प्राप्त नहीं करेगा कि

मध्यस्थ ने न्यायिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया है, न्यायालय का

हस्तक्षेप पुरस्कार के गुण-दोष पर होगा, जिसे संशोधन के बाद अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालांकि, के सिद्धांतों के रूप में

प्राकृतिक न्याय का संबंध धारा 18 में निहित है और 34 (2) (क) (iii) 1996 के अधिनियम के अनुसार, ये किसी पुरस्कार को चुनौती देने के आधार बने हुए हैं, जैसा कि एसोसिएट के पैरा 30 में निहित है।

बिल्डर्स [एसोसिएट बिल्डर्स बनाम। डी. डी. ए. (2015) 3 एस. सी. सी. 49: (2015)

2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 204]

35. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हस्तक्षेप का आधार जहां तक "भारत के हित" से संबंधित है, तब से हटा दिया गया है, और इसलिए, अब प्राप्त नहीं होता है। समान रूप से, इस आधार पर हस्तक्षेप का आधार है कि पुरस्कार न्याय या नैतिकता के साथ टकराव में है

अब इसे "नैतिकता या न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं" के साथ संघर्ष के रूप में समझा जाना चाहिए। यह फिर से एसोसिएट बिल्डर्स [एसोसिएट बिल्डर्स बनाम] के पैरा 36 से 39 के अनुरूप होगा। डी. डी. ए. (2015) 3 एस. सी. सी. 49: (2015) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 204], क्योंकि यह केवल इस तरह का मध्यस्थ एस. आई. सी. ए. एल. टर्मिनल पी. वी. टी. है।

लिमिटेड। वी. द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ वी. ओ. चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट टुटिकोरिन [बी. आर. गवई, जे.]

ऐसे पुरस्कार जो अदालत की अंतरात्मा को झकझोर देते हैं जिन्हें इस आधार पर अलग रखा जा सकता है।

36. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि भारत की सार्वजनिक नीति का अब पहला अर्थ यह है कि एक घरेलू पुरस्कार इसके विपरीत है

भारतीय कानून की मौलिक नीति, जैसा कि एसोसिएट बिल्डर्स के पैरा 18 और 27 में समझा गया है। डी. डी. ए. (2015) 3 एस. सी. सी. 49: (2015) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 204], या दूसरा, कि ऐसा पुरस्कार न्याय या नैतिकता की बुनियादी धारणाओं के खिलाफ है जैसा कि पैरा में समझा गया है।

36 एसोसिएट बिल्डरों के 39 [एसोसिएट बिल्डरों बनाम। डी. डी. ए. (2015) 3 एस. सी. सी. 49: (2015) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 204] स्पष्टीकरण 2 से धारा 34 (2) (बी) (ii) और स्पष्टीकरण 2 को धारा 48 (2) (बी) (ii) में केवल संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था ताकि पश्चिमी

गेको [ओएनजीसी बनाम। वेस्टर्न गेको इंटरनेशनल लिमिटेड (2014) 9 एस. सी. सी. 263: (2014) 5 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 12], जैसा कि एसोसिएट बिल्डर्स [एसोसिएट बिल्डर्स बनाम। डी. डी. ए. (2015) 3 एस. सी. सी. 49: (2015) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 204], और विशेष रूप से पैरा 28 और 29 को अब समाप्त कर दिया गया है।

37. जहाँ तक भारत में किए जाने वाले घरेलू पुरस्कारों का संबंध है,

संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा धारा 34 में जोड़ी गई उप-धारा (2-ए) के तहत अब अतिरिक्त आधार उपलब्ध है। यहाँ, पुरस्कार के चेहरे पर पेटेंट अवैधता दिखाई देनी चाहिए, जो ऐसी अवैधता को संदर्भित करती है जो मामले की जड़ तक जाती है लेकिन जो केवल कानून के गलत अनुप्रयोग के बराबर नहीं है। संक्षेप में, जिसे "भारतीय कानून की मौलिक नीति" में शामिल नहीं किया गया है, अर्थात्, सार्वजनिक नीति या सार्वजनिक हित से जुड़े किसी क़ानून का उल्लंघन, जब पेटेंट अवैधता के आधार पर किसी पुरस्कार को अलग करने की बात आती है, तो पिछले दरवाजे से नहीं लाया जा सकता है।

तर्कसंगत व्यक्ति; संक्षेप में, कि मध्यस्थ का दृष्टिकोण लेने के लिए एक संभावित दृष्टिकोण भी नहीं है। इसके अलावा, अगर मध्यस्थ बाहर भटकता है अनुबंध और उन मामलों से संबंधित जो उसे आवंटित नहीं किए गए हैं, वह [2021] 5 एस. सी. आर. करता है।

अधिकार क्षेत्र की त्रुटि। चुनौती का यह आधार अब गिर जाएगा। धारा 34 (2-ए) के तहत जोड़े गए नए आधार के भीतर।

38. दूसरा, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि साक्षय का पुनर्मूल्यांकन,

जो एक अपीलीय न्यायालय को करने की अनुमति है, वह नहीं हो सकता है

पर दिखाई देने वाली पेटेंट अवैधता के आधार पर अनुमति दी गई

स्वयं, अब एक मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखने के लिए एक आधार उपलब्ध नहीं है। एसोसिएट बिल्डर्स का पैरा 42.2 [एसोसिएट बिल्डर्स बनाम। डीडीए,

(2015) 3 एससीसी 49: (2015) 2 तथापि, एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 204] बना रहेगा,

यदि कोई मध्यस्थ किसी अधिनिर्णय के लिए कोई कारण नहीं देता है और उल्लंघन करता है

1996 के अधिनियम की धारा 31 (3) निश्चित रूप से एक

पुरस्कार के सामने पेटेंट अवैधता।

41. ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक निर्णय जो विकृत है,

जैसा कि एसोसिएट के पैरा 31 और 32 में समझा गया है

बिल्डर्स [एसोसिएट बिल्डर्स बनाम। डी. डी. ए. (2015) 3 एस. सी. सी. 49: (2015) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 204], जबकि अब "भारत की सार्वजनिक नीति" के तहत चुनौती के लिए एक आधार नहीं है, निश्चित रूप से पुरस्कार के चेहरे पर दिखाई देने वाली पेटेंट अवैधता के बराबर होगा। इस प्रकार, एक निष्कर्ष आधारित

किसी भी सबूत के बिना या एक पुरस्कार जो महत्वपूर्ण सबूत की अनदेखी करता है

अपने निर्णय पर पहुँचना विकृत होगा और पेटेंट की अवैधता के आधार पर अलग रखा जा सकता है। इसके अलावा, के आधार पर एक निष्कर्ष

मध्यस्थ द्वारा पक्षों की पीठ के पीछे लिए गए दस्तावेज

बिना किसी सबूत के निर्णय के रूप में भी योग्य होगा

क्योंकि ऐसा निर्णय पक्षों के नेतृत्व में साक्षय पर आधारित नहीं है, और

इसलिए, इसे विकृत के रूप में भी चिह्नित करना होगा।

42. इस तथ्य को देखते हुए कि संशोधित अधिनियम अब लागू होगा, और वह

मध्यस्थता पुरस्कारों को अलग रखने के लिए "पेटेंट अवैधता" आधार

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता लागू नहीं होगी, यह आवश्यक है

धारा 34 (2) (ए) (iii) में निहित आधारों का विज्ञापन करना और

((iv) जो वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होता है। 42. इस प्रकार यह एक तय कानूनी स्थिति से अधिक प्रतीत होगा, कि

धारा 34 के तहत आवेदन, अदालत से एक के रूप में कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाती हैदेर से अदालत और सबूत की फिर से सराहना करें। हस्तक्षेप का दायरा

घ मध्यस्थता पी. एस. ए. एस. आई. सी. ए. एल. टर्मिनल्स पी. वी. टी. की धारा 34 के तहत प्रदान किए गए आधारों तक सीमित होगा।

लिमिटेड। वी. द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ वी. ओ. चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट टुटिकोरिन [बी. आर. गवई, जे.]

एक्ट करें। जब पुरस्कार दिया जाएगा तो हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। "भारत की सार्वजनिक नीति" का उल्लंघन, जिसका अर्थ "भारतीय कानून की मौलिक नीति" माना गया है। पुरस्कार के गुण-दोष में हस्तक्षेप करने के कारण न्यायिक हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होगी। तथापि, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 18 और 34 (2) (ए) (iii) में निहित प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत निम्नलिखित को चुनौती देने के आधार बने रहेंगे:

एक पुरस्कार। इस आधार पर हस्तक्षेप के लिए आधार कि पुरस्कार न्याय या नैतिकता के साथ संघर्ष में है, अब एक संघर्ष के रूप में समझा जाना है।

43. एक निर्णय जो विकृत है, हालांकि "भारत की सार्वजनिक नीति" के तहत चुनौती के लिए एक आधार नहीं होगा, निश्चित रूप से पुरस्कार के चेहरे पर दिखाई देने वाली पेटेंट अवैधता के बराबर होगा। हालांकि, किसी भी सबूत के आधार पर एक निष्कर्ष या एक पुरस्कार जो अपने निर्णय पर पहुंचने में महत्वपूर्ण सबूत की अनदेखी करता है, विकृत होगा और पेटेंट अवैधता के आधार पर अलग किया जा सकता है। 44. विकृति की कसौटी को समझने के लिए, इस न्यायालय के फैसले से अनुच्छेद 31 और 32 का उल्लेख करना भी उचित होगा।

एसोसिएट बिल्डर्स (ऊपर), जो इस प्रकार हैं:

" 31. तीसरा न्यायिक सिद्धांत यह है कि एक ऐसा निर्णय जो विकृत हो।

या इतना तर्कहीन है कि कोई भी उचित व्यक्ति उस पर नहीं पहुंचा होगा, यह महत्वपूर्ण है और इसके लिए कुछ हद तक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। यह.

तय किया गया कानून है कि कहाँ:

((i) कोई निष्कर्ष बिना किसी साक्षय के आधारित है, या ((ii) एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण कुछ अप्रासंगिक को ध्यान में रखता है -

वह निर्णय जिस पर वह पहुँचता है; या

((ग) अपने निर्णय पर पहुँचने में महत्वपूर्ण साक्षय की उपेक्षा करता है,

इस तरह का निर्णय अनिवार्य रूप से विकृत होगा। 32. विकृति का एक अच्छा कार्य परीक्षण दो में निहित है।

निर्णय। उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी-सह-मूल्यांकन सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट में

[20
21] 5 एस सी आर।

प्राधिकरण v. गोपी नाथ एंड संस [1992 पूरक (2) एस. सी. सी. 312]

आयोजितः (एस. सी. सी पी. 317, पैरा 7)

" 7. ..... इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि तथ्य का निष्कर्ष प्रासंगिक सामग्री को नजरअंदाज करके या बाहर करके या इसमें शामिल करके निकाला जाता है।

अप्रासंगिक सामग्री पर विचार करना या यदि निष्कर्ष इतना अपमानजनक रूप से तर्क की अवहेलना करता है कि तर्कहीनता के दोष से पीड़ित है जो विकृत होने का दोष देता है, तो निष्कर्ष को कमजोर कर दिया जाता है।

कानून "।

कुलदिप सिंह बनाम। कॉम. पुलिस का [(1999) 2 एस. सी. सी. 10: 1999 एससीसी (एल एंड एस) 429], यह आयोजित किया गया थाः (एस. सी. सी पी. 14, पैरा 10)

" 10. इसलिए, उन निर्णयों के बीच एक व्यापक अंतर बनाए रखा जाना चाहिए जो विकृत हैं और जो नहीं हैं। यदि कोई निर्णय बिना किसी साक्षय या साक्षय के लिया जाता है जो पूरी तरह से अविश्वसनीय है और कोई भी उचित व्यक्ति उस पर कार्रवाई नहीं करेगा, तो आदेश विकृत होगा। लेकिन अगर अभिलेख पर कुछ सबूत है जो स्वीकार्य है और जिस पर भरोसा किया जा सकता है, चाहे वह कितना भी जटिल क्यों न हो, निष्कर्षों को विकृत नहीं माना जाएगा और निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

45. इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हमें जांच करनी होगी

वर्तमान मामला। 46. वर्तमान मामले में तथ्य बहुत अधिक विवाद में नहीं हैं। 9 अप्रैल, 1997 को टी. पी. टी. द्वारा प्रकाशित बोली दस्तावेज के खंड 5.6 का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार हैः

सातवें बर्थ को एक पूर्ण-स्तरीय कंटेनर टर्मिनल के रूप में विकसित करने का लाइसेंस दिया जाएगा, जिसमें जहाज से तट और तट तक जहाज संभालने की सुविधा, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव के लिए टर्मिनल होगा। निर्माण अवधि सहित 30 वर्ष की अवधि।

बोलीदाता टी. पी. टी. को अपने वित्तीय प्रस्ताव को कुल राशि के रूप में बताएगा

निम्नलिखित घटकः

क) समझौते को सुरक्षित करने के लिए अनुबंध को निष्पादित करते समय प्रारंभिक भुगतान की मात्रा;

ख) पूर्ववर्ती कैलेंडर महीने में टर्मिनल पर संचालित प्रत्येक टी. ई. यू. के लिए टर्मिनल के चालू होने के बाद देय रॉयल्टी शुल्क (प्रत्येक कैलेंडर महीने के दिन से पहले)।

वास्तविक एस. आई. सी. ए. एल. टर्मिनल पी. वी. टी. के मामले में। लिमिटेड। वी. द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ वी. ओ. चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट टुटिकोरिन [बी. आर. गवई, जे.]

थ्रूपुट गारंटीकृत न्यूनतम थ्रूपुट से नीचे आता है

अनुज्ञप्तिधारी अपनी बोली में तब अनुज्ञप्तिधारी के अनुसार रॉयल्टी का भुगतान करेगा।

उनके न्यूनतम गारंटीकृत थ्रूपुट।

उपयोग की जाने वाली दर को प्राप्ति की तारीख पर अधिसूचित किया जाएगा)। ग) न्यूनतम टी. ई. यू. थ्रूपुट की गारंटी जिसे नियंत्रित किया जाएगा

अनुबंध के प्रत्येक वर्ष। प्रस्ताव संलग्नक 4.1 में दिखाए गए प्रारूप में होगा।

47. बोली दस्तावेज के अवलोकन से पता चलता है कि बोली एनएसई के लिए सातवें बर्थ को एक पूर्ण कंटेनर टर्मिनल के रूप में विकसित करने के लिए थीजहाज-से-तट और तट-से-जहाज संचालन सुविधा और प्रबंधन के लिए भी,

इसे 30 वर्षों की अवधि के लिए बनाए रखें और

विघटन अवधि। बोली लगाने वाले को टी. पी. टी. को अपना वित्तीय प्रस्ताव बताना था।

तीन पहलुओं का बढ़ना:

(क) निष्पादन के समय प्रारंभिक भुगतान की मात्रा

समझौते को सुरक्षित करने के लिए अनुबंध;

(ख) प्रत्येक टीईयू के लिए टर्मिनल के चालू होने के बाद देय रॉयल्टी शुल्क (प्रत्येक कैलेंडर महीने के दिन से पहले)

पिछले कैलेंडर महीने में टर्मिनल पर संभाला गया। यह भी स्पष्ट है कि यदि वास्तविक थ्रूपुट अपनी बोली में लाइसेंसधारी द्वारा गारंटीकृत न्यूनतम थ्रूपुट से कम हो जाता है, तो लाइसेंसधारी अपने न्यूनतम गारंटीकृत थ्रूपुट के अनुसार रॉयल्टी का भुगतान करेगा। यह भी स्पष्ट करता है कि रॉयल्टी का भुगतान उसी मुद्रा में किया जाना था जिसमें लाइसेंसधारी को भुगतान होता है। उपयोगकर्ताओं से शुल्क; और

न्यूनतम टी. ई. यू. निर्गम की गारंटी जिसे संभाला जाएगा

((ग)

अनुबंध के प्रत्येक वर्ष में।

48. खंड 4.7 का उल्लेख करना भी आवश्यक होगा। 1 4. 7 और। 2 में से

आई. डी. दस्तावेज़, जो इस प्रकार है:

“ 4.7. 1 मूल्य निर्धारण

एल. आई. सी. एन. एस. ई. द्वारा एकत्रित की जाने वाली निर्धारित दरें और शुल्क

उपयोगकर्ता सरकार/शुल्क नियामक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अधिकतम दरों से अधिक नहीं होंगे। प्रस्तावित दरें

संभालने के लिए अनुलग्नक II में दिए गए हैं।

21] 5 एस सी आर।

एल. आई. सी. एन. एस. ई. कंटेनर टर्मिनल के उपयोगकर्ताओं के लिए बिल देगा

टर्मिनल शुल्क, माल पर घाट सहित सेवाएँ

एल. आई. सी. एन. एस. ई. द्वारा संग्रहित किए जाने वाले कंटेनरीकृत, कंटेनर बॉक्स और कार्गो से संबंधित शुल्क। ये राजस्व मालवाहक हितों और जहाजों के मालिकों या एजेंटों से एकत्र किए जाएंगे और एल. आई. सी. एन. एस. ई. को जमा होंगे और देय होंगे। बर्थ हायर, पोर्ट डचूज, पायलट आदि के कारण शुल्क बढ़ाया जाएगा और टी. पी. टी. द्वारा उपयोगकर्ताओं से सीधे वसूल किया जाएगा।
4.7. 2 विनियमन और समीक्षा

आम तौर पर शुल्क सरकार/शुल्क द्वारा संशोधित किया जाएगा।

नियामक प्राधिकरण 3 वर्ष में एक बार।

प्रचलित मानकों से किसी भी वृद्धि के लिए, एल. आई. सी. एन. एस. ई. लाइसेंसधारक को शुल्क के संशोधन के लिए आवेदन कर सकता है। लाइसेंसकर्ता सिफारिश कर सकता है

यह सरकार/शुल्क नियामक प्राधिकरण द्वारा गठित समिति के अनुमोदन के लिए है।

इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि बोली दस्तावेज स्वयं प्रदान करता है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्धारित दरों और शुल्कों को उनसे एकत्र किया जाना है। उपयोगकर्ता सरकार/शुल्क नियामक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अधिकतम दरों से अधिक नहीं होंगे। संभालने के लिए प्रस्तावित दरें बोली दस्तावेज़ के अनुलग्नक-II में निर्धारित की गई थीं। यह भी प्रावधान किया गया है कि शुल्क को सरकार/शुल्क नियामक द्वारा संशोधित किया जाएगा।

तीन साल में एक बार प्राधिकरण। यह भी प्रावधान किया गया है कि प्रचलित मानकों से किसी भी वृद्धि के लिए, लाइसेंसधारी लाइसेंसधारक को शुल्क में संशोधन के लिए आवेदन कर सकता है और लाइसेंसकर्ता सरकार/शुल्क नियामक प्राधिकरण द्वारा गठित समिति के अनुमोदन के लिए इसकी सिफारिश कर सकता है।

49. यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि प्रस्ताव संलग्नक 4.1 (बोलीदाताओं के वित्तीय प्रस्ताव) में दिखाए गए प्रारूप में होना आवश्यक था, जो

तीन कॉलम में विवरण देना आवश्यक है। पहला है 'ट्रैफिक'।

सातवें बर्थ (टी. ई. यू. एस. में) से गारंटी। दूसरा 'रॉयल्टी/टी. ई. यू. की दर' है और तीसरा 'राशि (रुपये)' है। ये विवरण सभी 30 वर्षों के लिए प्रदान किए जाने थे। यह संलग्नक 4.4 का उल्लेख करने के लिए भी प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है:

" तकनीकी मूल्यांकन के लिए निर्धारित योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाली सभी उत्तरदायी बोलियों को बोलीदाता द्वारा टी. पी. टी. को अपेक्षित भुगतान के वर्तमान मूल्य के आधार पर क्रमबद्ध किया जाएगा।

(संलग्नक 4 में वित्तीय प्रस्ताव में प्रस्तुत भुगतान अनुसूची के अनुसार 16 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से छूट)।

एस. आई. सी. ए. एल. टर्मिनल पी. वी. टी.। लिमिटेड। वी. द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ वी. ओ. चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट टुटिकोरिन [बी. आर. गवई, जे.]

रॉयल्टी शुल्क की गणना लाइसेंसधारी के शुल्क पर आधारित होगी।

यातायात की न्यूनतम गारंटीकृत मात्रा।

यदि, टी. पी. टी. की राय में, रॉयल्टी और रॉयल्टी की अनुसूची सहित बोली में उद्धृत कीमतें अवास्तविक पाई जाती हैं, तो ऐसी बोली खारिज कर दिया जाएगा और रैंकिंग के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

50. संलग्नक 4.4 यह स्पष्ट करता है कि तकनीकी मूल्यांकन के लिए योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाली सभी उत्तरदायी बोलियों को क्रमबद्ध किया जाएगा।

ई बोलीदाता द्वारा उद्धृत रॉयल्टी शुल्क के आधार पर।

51. अनुच्छेद 7.3 का उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा। 1 और 7.3.1 का

ग्रीमेंट, जो इस प्रकार है:

" 7.3. 1 कीमतें निर्धारित कर रहे हैं

लाइसेंसधारी मालिकों से वसूली करने का हकदार होगा। मालवाहक या पोत मालिक/एजेंट दरें और/या देय शुल्क और

कंटेनर टर्मिनल सेवाओं के उपयोग के लिए उनके द्वारा देय

जिसमें टर्मिनल शुल्क, मालवाहक पोत पर घाट, मालवाहक पात्र और माल के संबंध में माल से संबंधित शुल्क शामिल हैं और

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाओं में हालांकि यह प्रावधान किया गया है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एकत्र की जाने वाली दरें और/या शुल्क समान सेवाओं के संबंध में अनुज्ञप्तिग्राही द्वारा निर्धारित दरों से अधिक नहीं होंगे और अनुच्छेद 47 ए के तहत गठित प्रमुख बंदरगाहों के लिए सरकारी राजपत्र में या शुल्क प्राधिकरण द्वारा विधिवत अधिसूचित किए जाएंगे।

प्रमुख पत्तन न्यास अधिनियम, 1963, जैसा भी लागू हो, समय-समय पर। मौजूदा शुल्क को तय करने या संशोधित करने के उद्देश्य से, लक्षय है

प्रमुख बंदरगाह न्यास अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 47 ए के तहत गठित प्रमुख बंदरगाहों के लिए एक स्वतंत्र शुल्क प्राधिकरण की स्थापना। ऐसे प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाने वाला शुल्क शुल्क की अधिकतम दर होगी और लाइसेंसधारी ऐसे प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर से कम दर पर शुल्क निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होगा। शुल्क निर्धारण और मूल्य निर्धारण के संबंध में, लाइसेंसधारी शुल्क निर्धारण/समीक्षा के लिए टी. ए. एम. पी. द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करेगा।

ये शुल्क मालवाहक हितों और जहाजों के मालिकों या एजेंटों से एकत्र किए जाएंगे और लाइसेंसधारक को जमा होंगे और देय होंगे। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के समय प्रचलित दरें इस समझौते के परिशिष्ट 15 में निहित हैं। बर्थ हायर, पोर्ट ड्यूज और पायलट के कारण शुल्क बढ़ाया जाएगा और लाइसेंसकर्ता द्वारा सीधे उपयोगकर्ताओं से वसूल किया जाएगा।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लाइसेंसधारी शुल्क में छूट देने के लिए स्वतंत्र होगा। हालांकि, इस तरह की छूट केवल लाइसेंसधारी द्वारा दी जाएगी

माल प्राप्तकर्ताओं/मालिकों या पोत मालिकों/एजेंटों द्वारा लाइसेंस प्राप्तकर्ता को देय और देय शुल्क और ऐसे व्यक्तियों द्वारा सीधे लाइसेंसर को देय शुल्क के संबंध में नहीं।

XXX XXX XXX

7.3. 5 भुगतान और भुगतान की शर्तें 7.3 .5.1 प्रारंभिक भुगतान

इस लाइसेंस के अनुदान पर विचार करते हुए, लाइसेंसधारी लाइसेंस देने की तारीख को एक साथ <ID1 मिलियन (केवल पैंतालीस लाख रुपये) की प्रारंभिक राशि का भुगतान करेगा। लाइसेंसधारी न्यूनतम गारंटीकृत यातायात रॉयल्टी दरों के आधार पर गणना की गई रॉयल्टी का भुगतान लाइसेंसधारक को करेगा, जैसा कि परिशिष्ट 12 में निर्धारित किया गया है, शुल्कों में छूट, यदि कोई हो, जो लाइसेंसधारी द्वारा दी जा सकती है। रॉयल्टी का भुगतान हर महीने वार्षिक न्यूनतम गारंटीकृत यातायात के आधार पर किया जाएगा जैसा कि परिशिष्ट 12 में निर्धारित किया गया है। मासिक रॉयल्टी की गणना शुरू में परिशिष्ट 12 के अनुसार वार्षिक न्यूनतम गारंटीकृत यातायात के आधार पर वार्षिक रॉयल्टी के अनुपात में की जाएगी और बाद के महीने के 7 वें दिन तक इसका भुगतान किया जाएगा। प्रत्येक 3 महीने की अवधि के अंत में देय कुल रॉयल्टी की गणना की जाएगी और वास्तव में देय रॉयल्टी की राशि के बीच अंतर, यदि कोई हो, की गणना वास्तविक टी. ई. यू. के आधार पर की जाएगी और

परिशिष्ट 12 में निर्धारित संबंधित राशि और पहले से ही प्रेषित रॉयल्टी की राशि का भुगतान लाइसेंसधारी द्वारा

संबंधित 3 महीने की अवधि की समाप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर लाइसेंसर।

यदि वास्तविक यातायात वार्षिक न्यूनतम से कम हो जाता है अनुज्ञप्तिधारी द्वारा गारंटीकृत यातायात और परिशिष्ट 12 में निर्धारित किए गए अनुसार, तब अनुज्ञप्तिधारी अपने वार्षिक न्यूनतम गारंटीकृत यातायात के अनुसार रॉयल्टी की राशि का भुगतान करेगा।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि न्यूनतम गारंटीकृत यातायात रॉयल्टी दर

जैसा कि परिशिष्ट 12 में निर्धारित किया गया है, इसे पहली बार टीएएमपी द्वारा कंटेनरों के लिए शुल्क निर्धारित करने पर एक बार के उपाय के रूप में ऊपर या नीचे की ओर समायोजित किया जाएगा। यह समायोजन पी. एस. ए. एस. आई. सी. ए. एल. टर्मिनल्स पी. वी. टी. द्वारा किया जाएगा।

लिमिटेड। वी. द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ वी. ओ. चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट टुटिकोरिन [बी. आर. गवई, जे.]

एकल प्रतिशत (प्लस या माइनस) के आधार पर बंदरगाह को परिशिष्ट 12 के अनुसार रॉयल्टी के रूप में उद्धृत सभी आंकड़ों पर लागू किया जाना है। यह एकल प्रतिशत शुल्क या पात्रों के संबंध में दरों में भिन्नता के भारित औसत के योग के आधार पर तय किया जाएगा।

निम्नलिखित तरीके से "।

52. अनुच्छेद 7.3 का अवलोकन। 1 यह प्रकट करेगा कि लाइसेंसधारी माल और लाइसेंसधारी द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाओं के संबंध में मालवाहक टर्मिनल सेवाओं के उपयोग के लिए मालिकों/मालवाहकों या पोत मालिकों/एजेंटों, दरों और/या देय और उनके द्वारा देय शुल्कों की वसूली करने का हकदार था, जिसमें टर्मिनल शुल्क, मालवाहक कंटेनर पर घाट, कंटेनर बॉक्स और मालवाहक संबंधित शुल्क शामिल हैं। हालांकि, यह प्रावधान किया गया था कि लाइसेंसधारी द्वारा एकत्र की जाने वाली दरें और/या शुल्क समान सेवाओं के संबंध में लाइसेंसकर्ता द्वारा निर्धारित दरों से अधिक नहीं होंगे और आधिकारिक राजपत्र में जी. ओ. एल. द्वारा विधिवत अधिसूचित या प्रमुख बंदरगाह न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 47 ए के तहत गठित टी. ए. एम. पी. द्वारा निर्धारित नहीं किए जाएंगे। समझौता स्वयं स्पष्ट करता है कि टी. ए. एम. पी. द्वारा निर्धारित किया जाने वाला शुल्क शुल्क की अधिकतम दर होनी चाहिए और लाइसेंसधारी ऐसे प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर से कम दर पर शुल्क निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होगा। यह भी स्पष्ट है कि लाइसेंसधारी को शुल्क निर्धारण के संबंध में टीएएमपी द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करना था। समझौते के परिशिष्ट-15 में समझौते पर हस्ताक्षर करने के समय प्रचलित दरों का भी विवरण दिया गया है। लेख में निर्दिष्ट किया गया है कि लाइसेंसधारी शुल्क पर छूट देने के लिए स्वतंत्र था। हालांकि, ऐसी छूट केवल लाइसेंसधारी को देय शुल्क के संबंध में दी जाएगी और लाइसेंसधारक को देय नहीं होगी।

53. अनुच्छेद 7.3.1 लाइसेंस दिए जाने की तारीख को एक साथ <ID1 मिलियन के प्रारंभिक भुगतान का प्रावधान करता है। समझौता आगे स्पष्ट करता है कि लाइसेंसधारी परिशिष्ट 12 में निर्धारित न्यूनतम गारंटीकृत यातायात रॉयल्टी के आधार पर गणना की गई लाइसेंसधारक रॉयल्टी को भुगतान करेगा। यह भी प्रावधान किया गया है कि परिशिष्ट-12 में निर्धारित न्यूनतम गारंटीकृत यातायात रॉयल्टी दर को पहली बार टीएएमपी द्वारा कंटेनरों के लिए शुल्क निर्धारित करने पर एक बार के उपाय के रूप में ऊपर या नीचे की ओर समायोजित किया जाएगा। 54. अनुच्छेद 14 का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जो पक्षों के बीच विवाद का मूल है, जो इस प्रकार है:

" अनुच्छेद 14

[2021] 5 एस सी आर।

14. कानून में बदलाव

14.1 कानून की परिभाषा

इस समझौते के प्रयोजनों के लिए, "कानून" का अर्थ है कोई भी वैध अधिनियम, अध्यादेश, नियम, विनियमन, अधिसूचना, निर्देश, आदेश नीति, उपनियम, प्रशासनिक दिशानिर्देश, निर्णय या निर्देश जिसमें -

सरकारी प्राधिकारी द्वारा अधिनियमित या जारी की गई विधि का बल।

14.2 कानून में परिवर्तन की परिभाषा

इस समझौते के प्रयोजनों के लिए "कानून में परिवर्तन" का अर्थ है सरकारी प्राधिकरण द्वारा किसी भी मौजूदा कानून का कोई संशोधन, परिवर्तन, संशोधन या निरसन या इस समझौते की तारीख के बाद प्रभावी होने वाले कानून या अधिनियम या किसी नए कानून द्वारा इसकी किसी भी व्याख्या के माध्यम से, जिसके लिए इस समझौते में कहीं और प्रावधान नहीं किया गया है।

14.3 कानून में बदलाव के तहत राहत

यदि, इस समझौते की तारीख के बाद, कानून में कोई परिवर्तन होता है जो इस समझौते के तहत लाइसेंसधारी के अधिकारों को काफी हद तक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है ताकि परियोजना की वाणिज्यिक व्यवहार्यता में बदलाव हो, तो लाइसेंसधारी लिखित सूचना द्वारा संशोधन का अनुरोध कर सकता है।

इस समझौते की शर्तों के अनुसार।

अनुच्छेद 14.3 के प्रावधानों के अधीन, लाइसेंसधारी लाइसेंसधारक से किसी भी तरह के मुआवजे का हकदार नहीं होगा। कानून में परिवर्तन का परिणाम।

14.4 कर कानूनों और विनियमों में परिवर्तन

अनुज्ञप्तिधारी किसी भी वृद्धि के लिए किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं है। प्रत्यक्ष और/या अप्रत्यक्ष कर में जिसका भुगतान करने के लिए लाइसेंसधारी उत्तरदायी है।

परियोजना का सम्मान "।

55. अनुच्छेद 14 'कानून में परिवर्तन' से संबंधित है। अनुच्छेद 14.1, जो 'कानून' को परिभाषित करता है, कहता है कि कानून का अर्थ है कोई भी वैध कार्य, अध्यादेश, नियम, विनियमन, अधिसूचना,

निर्देश, आदेश नीति, उपनियम, प्रशासनिक दिशानिर्देश, निर्णय या निर्देश जो कानून के बल पर अधिनियमित या जारी किया गया हो। एक सरकारी प्राधिकरण द्वारा।

अनुच्छेद 14,2, जो 'कानून में परिवर्तन' से संबंधित है, कहता है कि 'परिवर्तन'

कानून में 'का अर्थ होगा सरकारी प्राधिकरण द्वारा या किसी भी व्याख्या के माध्यम से किसी भी मौजूदा कानून का कोई संशोधन, परिवर्तन, संशोधन या निरसन।

लिमिटेड। वी. द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ वी. ओ. चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट टुटिकोरिन [बी. आर. गवई, जे.]

अनुच्छेद 14.3 कानून में परिवर्तन के तहत राहत प्रदान करता है। यदि समझौते की तारीख के बाद, कानून में कोई बदलाव होता है जो समझौते के तहत लाइसेंसधारी के अधिकारों को काफी हद तक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है ताकि परियोजना की वाणिज्यिक व्यवहार्यता में बदलाव किया जा सके, तो लाइसेंसधारी, लिखित सूचना, समझौते की शर्तों में संशोधन का अनुरोध करें। इसने आगे प्रावधान किया कि अनुच्छेद 14.3 के प्रावधानों के अधीन, लाइसेंसधारी कानून में परिवर्तन के परिणामस्वरूप लाइसेंसकर्ता से किसी भी तरह के मुआवजे का हकदार नहीं होगा।

56. इसलिए हमें जिन प्रश्नों का उत्तर देना होगा वे हैं: (i) इस बारे में कि क्या मध्यस्थ न्यायाधिकरण का निष्कर्ष निकालना उचित था

कानून में परिवर्तन, जो लाइसेंसधारी को अनुच्छेद 14.3 लागू करने का अधिकार देता है

समझौते का; और

((ii) इस बारे में कि क्या मध्यस्थ न्यायाधिकरण का धर्मांतरण उचित था। रॉयल्टी भुगतान मॉड्यूल से राजस्व-साझाकरण मॉड्यूल तक बर्थ नं. VII राजस्व के लिए दावेदार के दायित्व के साथ

शेयर 55.19% पर तय किया जा रहा है।

57. उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमें अभिलेख में रखे गए दस्तावेजों पर विचार करना होगा। इसके अलावा, हमें भी करना होगा

पक्षकारों के आचरण और उनके इरादे को ध्यान में रखें जो उक्त सामग्री से एकत्र किया जा सकता है।

58. इस संबंध में, एम. एम. टी. सी. लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में अनुच्छेद 16 का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है:

" 16. इस मोड़ पर यह देखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि किसी अनुबंध की शर्तों की व्याख्या करते समय, पक्षों का आचरण और आदान-प्रदान किए गए पत्राचार भी प्रासंगिक कारक होंगे और

इस पर विचार करना मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र में है।

[मैकडरमोट इंटरनेशनल इंक. वी. देखें। बर्न स्टैंडर्ड कंपनी।

लिमिटेड [मैकडरमोट इंटरनेशनल इंक. बनाम। बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड, (2006) 11 एस. सी. सी. 181]; प्योर हीलियम इंडिया (पी) लिमिटेड बनाम। ओ. एन. जी. सी. [प्योर हीलियम इंडिया (पी) लिमिटेड बनाम। ओ. एन. जी. सी. (2003) 8 एस. सी. सी. 593] और डी. डी. शर्मा बनाम। भारत संघ [डी. डी. शर्मा बनाम। भारत संघ,

(2004) 5 एससीसी 325]।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

59. मध्यस्थता न्यायाधिकरण का पूरा निष्कर्ष इस आधार पर आधारित है कि जब टी. पी. टी. ने एस. आई. सी. ए. एल. के साथ एक अनुबंध किया था तो एक मौजूदा अनुबंध था।

नीति, जो शुल्क निर्धारण करते समय लागत में रॉयल्टी को शामिल करने के लिए प्रदान करती थी और बाद में, जी. ओ. एल. ने 29 जुलाई, 2003 को अपनी नीति में बदलाव किया, जिससे यह प्रावधान किया गया कि टी. ए. एम. पी. द्वारा शुल्क निर्धारण/संशोधन के लिए लागत के रूप में रॉयल्टी भुगतान/राजस्व साझाकरण को शामिल नहीं किया जाएगा; और यह कि 31 मार्च, 2005 को नीति में बाद में बदलाव किया गया था, जिसमें रॉयल्टी के किस हिस्से को लागत में शामिल करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, यह दूसरे सबसे कम बोली लगाने वाले की बोली की अधिकतम राशि के अधीन है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अनुसार, नीति में परिवर्तन हुआ, जो कानून में परिवर्तन के बराबर था, जिसने बदले में एस. आई. सी. ए. एल. पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

60. आइए हम इस निष्कर्ष की शुद्धता की जांच करें। हम पूरी तरह से जानते हैं कि न तो धारा 34 के तहत और न ही धारा 37 के तहत

मध्यस्थता अधिनियम, न्यायालय साक्षय का पुनर्मूल्यांकन करने का हकदार है। उक्त सीमा इस न्यायालय पर भी समान रूप से लागू होगी। मान लीजिए, बोली दस्तावेज 9 अप्रैल, 1997 को प्रकाशित किया गया था। एस. आई. सी. ए. एल. की तकनीकी बोली 24 अक्टूबर, 1997 को प्रस्तुत की गई थी। एस. आई. सी. ए. एल. का वित्तीय प्रस्ताव 19 दिसंबर, 1997 को प्रस्तुत किया गया था। लोल 29 जनवरी, 1998 को जारी किया गया था। यह सब फरवरी 1998 में टी. ए. एम. पी. द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से पहले हुआ है। इस प्रकार, यह किसी भी संदेह से परे है कि जब बोली दस्तावेज को अधिसूचित किया गया था और जब एस. आई. सी. ए. एल. ने अपनी बोली जमा की थी और एल. ओ. एल. इसे जारी किया गया था, तो कोई दिशानिर्देश प्रचलित नहीं थे। पहली बार, चेन्नई में आयोजित कार्यशाला में टीएएमपी द्वारा दिशानिर्देशों को अपनाया गया था।

2627 फरवरी, 1998।

61. आइए देखें कि ये दिशानिर्देश क्या प्रदान करते हैं। " टी. ए. एम. पी. को स्थापित लागत प्रणालियों का पालन करना चाहिए और

मूल्य निर्धारण प्रमुख, इसका समग्र उद्देश्य इस दिशा में आगे बढ़ना होगा

शुल्क निर्धारण के विभिन्न तरीके हैं। अधिक समय तक जानकारी/ज्ञान उपलब्ध हो जाता है। मौजूदा ढांचे के भीतर प्रणाली को सुचारू बनाने के प्रयास किए जा सकते हैं।

मध्यावधि के दौरान, बंदरगाह मूल्य निर्धारण वापसी की सुनिश्चित दर के साथ लागत आधारित बना रह सकता है। यद्यपि अवधारणा वापसी की एक सुनिश्चित दर एक पूर्ण प्रणाली के अनुरूप नहीं है। इसे कुछ समय के लिए बनाए रखने की सलाह दी जाएगी ताकि अचानक परिवर्तनों के साथ प्रणाली को अस्थिर न किया जा सके।

पी. एस. ए. एस. आई. सी. ए. एल. टर्मिनल्स पी. वी. टी. में। लिमिटेड। वी. द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ वी. ओ. चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट टुटिकोरिन [बी. आर. गवई, जे.]

मौजूदा आधार और निरपेक्ष की तर्कसंगतता यह सुनिश्चित करने के लिए कुल लागत की जांच करनी पड़ सकती है कि

अक्षमताएँ, गैर-आर्थिक उपयोगकर्ता/अभ्यास या अधिकता नहीं हैं

उपयोगकर्ताओं को भेजें। भले ही टीएएमपी वर्तमान में सुसज्जित न हो

इस तरह की जांच से संबंधित काम के बोझ से निपटने के लिए, इसे कम से कम इस तरह की लागतों को शुल्क में बदलने के खिलाफ दबाव बनाना शुरू करें।

वापसी की एक सुनिश्चित दर या तो बढ़ाकर प्राप्त की जा सकती है।

सेवाओं की लागत; या समाप्त करके पूंजी आधार को कम करके अनुत्पादक और अप्रचलित परिसंपत्तियाँ।

[जोर दिया गया]

62. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जो प्रदान किया गया है वह है कि

टी. ए. एम. पी. को स्थापित लागत प्रणाली और मूल्य निर्धारण सिद्धांतों का पालन करना चाहिए

प्रशुल्क संरचना को तर्कसंगत बनाना और/या पूंजी आधार को कम करना अनुत्पादक और अप्रचलित संपत्ति।

63. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि 1998 के दिशानिर्देश भी ऐसा नहीं करते हैं।

उल्लेख करें कि शुल्क निर्धारित करते समय रॉयल्टी को लागत में शामिल किया जा सकता है। हालांकि उक्त दिशानिर्देशों में कहा गया है कि बंदरगाह मूल्य निर्धारण हो सकता है इसने आगे कहा कि वापसी की एक सुनिश्चित दर के साथ लागत-आधारित होना जारी है, कि वापसी की एक सुनिश्चित दर की ऐसी अवधारणा एक प्रतिस्पर्धी प्रणाली के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जब बोलियां आमंत्रित की गईं और एस. आई. सी. ए. एल. ने अपनी बोली प्रस्तुत की और एल. ओ. एल. [2021] 5 एस. सी. आर. जारी किया गया।

इसके लिए कोई नीति नहीं थी। यहां तक कि 1998 के दिशानिर्देशों में भी शुल्क का निर्धारण करते समय लागत में रॉयल्टी को शामिल करने का प्रावधान नहीं है।

64. इसमें कोई संदेह नहीं है कि शुल्क में संशोधन का पहला प्रस्ताव कब आएगा।

एस. आई. सी. ए. एल. द्वारा प्रस्तुत किया गया था, टी. ए. एम. पी. को प्रस्तुत अपनी टिप्पणियों में, टी. पी. टी. ने एस. आई. सी. ए. एल. द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन किया है। यह भी निर्विवाद है कि

टी. ए. एम. पी. ने 08 दिसंबर, 1999 के आदेश (28 दिसंबर, 1999 को अधिसूचित) के माध्यम से एस. आई. सी. ए. एल. के संबंध में शुल्क निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी है। टी. ए. एम. पी. आदेश के पैराग्राफ 7 के उप-पैरा (iv) को संदर्भित करना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है:

" ((iv) इस बिंदु पर रॉयल्टी मुद्दे को संदर्भित करना आवश्यक होगा।

भले ही रॉयल्टी से संबंधित कुछ विचार हैं

शुल्क-निहितार्थ, हमने अब तक हस्तक्षेप करने का विकल्प नहीं चुना है

इस संबंध में रॉयल्टी के मुद्दे को निपटाने के लिए छोड़ दिया गया है।

पोर्ट ट्रस्ट और सरकार द्वारा। ऐसा होने पर,

डॉलर मूल्यवर्ग के लिए, हमारे लिए यह स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि शुल्कों की हमारी मंजूरी की व्याख्या नहीं की जा सकती है

रॉयल्टी से संबंधित मुद्दों के किसी भी अंतर्निहित अनुमोदन के लिए राशि।

विशेष रूप से डॉलर के बारे में टी. पी. टी. की स्थिति के संदर्भ में रॉयल्टी का मूल्यवर्ग, द्वारा अपनाई गई रूपांतरण की विधि

शुल्क के आधार पर वित्तीय विवरणों के उद्देश्य के लिए आवेदक

डॉलर के संदर्भ में निर्धारित नहीं माना जा सकता है हमारे द्वारा अनुमोदित "।

[जोर दिया गया]

65. इस प्रकार यह स्पष्ट हो सकता है कि टी. ए. एम. पी. ने देखा है कि हालांकि

रॉयल्टी से संबंधित कुछ विचारों में शुल्क-निहितार्थ हैं, इसने अभी तक उस संबंध में हस्तक्षेप करने का विकल्प नहीं चुना था। रॉयल्टी के मुद्दे को टी. पी. टी. और भारत सरकार द्वारा हल करने के लिए छोड़ दिया गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि

मंजूरी

शुल्क की व्याख्या किसी अंतर्निहित अनुमोदन के रूप में नहीं की जा सकती है। रॉयल्टी से संबंधित मुद्दे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 1999 के टी. ए. एम. पी. आदेश में भी यह स्पष्ट किया गया था कि उक्त आदेश की व्याख्या रॉयल्टी से संबंधित मुद्दों के किसी भी अंतर्निहित अनुमोदन के रूप में नहीं की जानी चाहिए। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एस. आई. सी. ए. एल. द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को टी. पी. टी. के सशर्त समर्थन के कारण ही रॉयल्टी को लागत में शामिल करने की अनुमति दी गई थी। यह भी ध्यान देने योग्य होगा कि 1999 का टी. ए. एम. पी. आदेश टी. ए. एम. पी. दिशानिर्देशों के काफी बाद का है, जो फरवरी 1998 में जारी किए गए थे। निर्विवाद रूप से, उक्त आदेश को एस. आई. सी. ए. एल. द्वारा पैराग्राफ 7 के उप-पैरा (iv) में उपरोक्त टिप्पणियों सहित स्वीकार कर लिया गया है।

एस. आई. सी. ए. एल. टर्मिनल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ वी. ओ. चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट टुटिकोरिन [बी. आर. गवई, जे.]

66. एस. आई. सी. ए. एल. के मामले में दूसरा शुल्क आदेश पारित किया गया।

सितंबर, 2002 (4 अक्टूबर, 2002 को अधिसूचित)। यह पैराग्राफ 15 के उप-पैरा (xi) के लिए प्रासंगिक होगा।

" (xi) द्वारा विचार किए गए व्यय की मुख्य वस्तुओं में से एक

पी. एस. ए. एस. आई. सी. ए. एल. रॉयल्टी भुगतान है जो इसे टी. पी. टी. को करना होता है।

रियायत समझौते के अनुसार। इस दायित्व के बारे में

11.4 % , 15.4 % और पर अनुमानित परिचालन आय का 19.2%

तब कोई विस्तृत लागत विश्लेषण नहीं किया गया था। यह स्वीकार किया जाता है कि 'रॉयल्टी' की स्वीकार्यता का मुद्दा

लागत वस्तु केवल एक केंद्रित जांच के दायरे में आई है सी. सी. टी. एल. से संबंधित मामला जिसका मार्च में निपटारा किया गया था,

2002. उस मामले में, इस प्राधिकरण ने अनुमति नहीं देने का फैसला किया

' शुल्कों की गणना के लिए लागत तत्व के रूप में 'राजस्व हिस्सेदारी' सी सी टी एल में। इस प्राधिकरण ने माना कि रॉयल्टी की अनुमति

शुल्क का मतलब होगा कि सी. सी. टी. एल. (निजी टर्मिनल)

प्रचालक) और सी. एच. पी. टी. (अनुज्ञापक) दोनों

एक प्रमुख स्थिति का आनंद लिया, किसी में भी प्रवेश कर सकता था

आपस में व्यापारिक व्यवस्था करें और आगे बढ़ें

ग्राहकों के लिए परिणामी लागत। यह प्राधिकरण भी

यह देखा गया कि कहीं से भी कोई प्रतिबद्धता नहीं थी

परिणामी शुल्क समायोजन और सीए ने भी कोई जानकारी नहीं दी

संबंधित शुल्क समायोजन के बारे में लाइसेंसधारी को आश्वासन

उद्धृत राजघराने को।

सी. सी. टी. एल. मामले में निर्धारित सिद्धांत को देखते हुए, यह है -

पीएसए एस. आई. सी. ए. एल. भी। यह उल्लेखनीय है कि कोई असाधारण नहीं इस मामले में परिस्थितियाँ सामने आती प्रतीत होती हैं

कोई भी असाधारण विचार। कि इस तरह से, रॉयल्टी है इसके लिए लागत की स्वीकार्य वस्तु के रूप में नहीं माना गया

शुल्क अभ्यास "।

[जोर दिया गया]

67. उपरोक्त उप-पैरा के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि

एस. आई. सी. ए. एल. द्वारा विचार किए गए व्यय के मुख्य मदों में से 5 एस. सी. आर. था।

रॉयल्टी का भुगतान इसे रियायत समझौते के अनुसार टी. पी. टी. को करना होता है। इसमें कहा गया है कि मौजूदा शुल्कों को एस. आई. सी. ए. एल. को तत्कालीन मौजूदा चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट (इसके बाद "सी. एच. पी. टी". के रूप में संदर्भित) दरों को अपनाने के उसके प्रस्ताव को स्वीकार करके अनुमति दी गई थी। यह स्पष्ट करता है कि उस समय कोई विस्तृत लागत विश्लेषण नहीं किया गया था। इसमें आगे कहा गया है कि लागत मद के रूप में रॉयल्टी की स्वीकार्यता का मुद्दा केवल सी. सी. टी. एल. से संबंधित मामले में एक केंद्रित जांच के दायरे में आया, जिसे मार्च 2002 में निपटाया गया था। इसमें कहा गया है कि उस मामले में, प्राधिकरण ने सी. सी. टी. एल. के लिए शुल्क की गणना के लिए लागत तत्व के रूप में 'राजस्व हिस्सेदारी' की अनुमति नहीं देने का फैसला किया। यह बताता है कि शुल्क में रॉयल्टी की अनुमति देने का मतलब यह होगा कि सी. सी. टी. एल. (निजी टर्मिनल ऑपरेटर) और सी. एच. पी. टी. (लाइसेंसर), जो दोनों एक प्रमुख स्थिति का आनंद लेते थे, अपने बीच किसी भी वाणिज्यिक व्यवस्था में प्रवेश कर सकते हैं और परिणामी लागत को ग्राहकों को दे सकते हैं। यह आगे निर्दिष्ट करता है कि प्राधिकरण ने देखा था कि उद्धृत रॉयल्टी के अनुरूप परिणामी शुल्क समायोजन के बारे में कहीं से भी कोई प्रतिबद्धता नहीं थी। इसने आगे कहा कि एस. आई. सी. ए. एल. के मामले में कोई असाधारण परिस्थितियाँ सामने नहीं आती हैं जो किसी भी अपवाद की गारंटी देती हैं।

विचार करें। इस प्रकार, शुल्क में रॉयल्टी को लागत की स्वीकार्य वस्तु के रूप में नहीं माना गया था। 68. उक्त आदेश तब पारित किया गया था जब 1998 के दिशानिर्देश अभी भी मैदान में थे। इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, यह समझना मुश्किल है कि यह कैसे कहा जा सकता है कि टीएएमपी द्वारा जारी 1998 के दिशानिर्देशों ने शुल्क निर्धारित करते समय रॉयल्टी को लागत में शामिल करने की अनुमति दी थी।

69. 2002 के शुल्क आदेश को एस. आई. सी. ए. एल. द्वारा 2002 की रिट याचिका संख्या 40637-40639 दर्ज करके चुनौती दी गई है।

मद्रास उच्च न्यायालय। मद्रास उच्च न्यायालय ने भी 8 नवंबर, 2002 को अंतरिम आदेश पारित किया है, जिससे 2002 की अधिसूचना पर रोक लगा दी गई है और 1999 के शुल्क आदेश के आधार पर एस. आई. सी. ए. एल. को शुल्क लेने की अनुमति दी गई है। 70. इसके बाद जी. ओ. एल. द्वारा 29 जुलाई, 2003 को जारी अधिसूचना आती है, जो निम्नलिखित शब्दों में है:

" हाल ही में कुछ मामलों में यह सवाल उठा है कि शुल्क निर्धारण/संशोधन के उद्देश्य से निजी टर्मिनल ऑपरेटरों द्वारा संबंधित प्रमुख बंदरगाहों को किए गए राजस्व बंटवारे/रॉयल्टी भुगतान के साथ क्या व्यवहार किया जाए। टीएएमपी ने इस मामले में मंत्रालय से दिशा-निर्देश देने का भी अनुरोध किया है। इस मामले पर टी. ए. एम. पी. के अध्यक्ष के साथ चर्चा की गई है और इस मंत्रालय में इस पर विचार किया गया है और यह स्पष्ट करने का निर्णय लिया गया है कि पी. एस. ए. एस. आई. सी. ए. एल. टी. पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ वी. ओ. चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट टुटिकोरिन [बी. आर. गवई, जे.]

राजस्व बंटवारा/रॉयल्टी भुगतान को कारक नहीं बनाया जाएगा। शुल्क निर्धारण/संशोधन के लिए लागत के रूप में ध्यान में रखा गया/लिया गया

निम्नलिखित कारणों से टीएएमपी द्वाराः

(i) निजी क्षेत्र के कारण उच्च दक्षता का लाभ

बंदरगाहों में भागीदारी शिपर्स को भी दी जानी चाहिए या

उपयोगकर्ता जो ऐसा नहीं होगा यदि रॉयल्टी को इसमें शामिल करने की अनुमति दी जाती है

निजी ऑपरेटरों की लागत।

(ii) यदि रॉयल्टी की अनुमति लागत के रूप में दी जाती है, तो निजी बोलीदाता कोई भी पेशकश कर सकता है। उच्च प्रतिशत जो वह शिपर्स/उपयोगकर्ताओं से वसूल करेगा

उच्च दरों के निर्धारण में वर्णित आकार या रॉयल्टी लागत।

यह भी समझाया गया है कि इस संबंध में स्थिति हो सकती है

के लिए बोलियां आमंत्रित करते समय बोली दस्तावेजों में ही स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया है

प्रमुख बंदरगाहों पर निजी क्षेत्र की भागीदारी।

[जोर दिया गया]

71. उक्त अधिसूचना के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि

गोल ने नीति के रूप में यह स्पष्ट करने का निर्णय लिया है कि राजस्व-बंटवारा /

रॉयल्टी भुगतान को टी. ए. एम. पी. द्वारा शुल्क निर्धारण/संशोधन के लिए लागत के रूप में ध्यान में नहीं रखा जाएगा। उक्त अधिसूचना में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि बंदरगाहों में निजी भागीदारी के कारण उच्च दक्षता का लाभ शिपर्स या उपयोगकर्ताओं को भी दिया जाना चाहिए जो निजी ऑपरेटरों की लागत में रॉयल्टी को शामिल करने की अनुमति देने पर ऐसा नहीं होगा। यह आगे प्रावधान करता है कि यदि रॉयल्टी को लागत के रूप में अनुमति दी जाती है, तो निजी बोलीदाता किसी भी उच्च प्रतिशत की पेशकश कर सकता है जिसे वह उच्च दरों को तय करने में रॉयल्टी लागत के रूप में शिपर्स/उपयोगकर्ताओं से वसूल करेगा।

72. इसके बाद 31 मार्च, 2005 को जारी एक अधिसूचना आती है।

टीएएमपी। यह ध्यान देने योग्य होगा कि ये दिशा-निर्देश कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में हितधारकों के साथ आयोजित परामर्श बैठकों के बाद जारी किए गए हैं। खंड 1.4 का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। 2 , जो इस प्रकार है:

" 1.4. 2 . फरवरी 1998 में अपनाए गए पहले के दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं

हटा दिया गया। विभिन्न शुल्क आदेशों के माध्यम से सिद्धांत विकसित हुए

हालाँकि, वे इस हद तक लागू होते रहेंगे कि वे सुसंगत हैं। इन दिशानिर्देशों के साथ और विशेष रूप से प्रतिस्थापित नहीं। ए.

विकसित सिद्धांतों का संकलन या डाइजेस्ट प्रकाशित किया जाएगा।

समय-

समय पर। "[2021] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

73. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 31 मार्च, 2005 की अधिसूचना विशेष रूप से

कहा गया है कि फरवरी 1998 में अपनाए गए दिशानिर्देशों को हटा दिया गया है। हालांकि, यह प्रावधान करता है कि विभिन्न शुल्क आदेशों के माध्यम से विकसित सिद्धांत उस हद तक लागू होते रहेंगे जो वे 2005 के दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं और विशेष रूप से प्रतिस्थापित नहीं हैं।

74. पैराग्राफ 2.8 का उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा। 1 2005 का

दिशानिर्देश।

सरकार द्वारा तय की गई शुल्क गणना के लिए लागत। में पोत परिवहन मंत्रालय ने अपने आदेश सं. पीआर-14019/6/2002

पीजी डीटी। 29 जुलाई, 2003। उन बी. ओ. टी. मामलों में जहां बोली लगाई जाती है

29 जुलाई, 2003 से पहले प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया था, शुल्क गणना रॉयल्टी/राजस्व बंटवारे को ध्यान में रखेगी।

शुल्क निर्धारण के लिए लागत इस तरह से ताकि संभावना से बचा जा सके

रॉयल्टी/राजस्व हिस्सेदारी के कारण प्रचालक को नुकसान

ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, अधिकतम के अधीन अगले सबसे कम बोली लगाने वाले द्वारा उद्धृत राशि। यह होगा,

हालाँकि, उस अवधि के लिए अनुमति दी जाएगी जब तक कि ऐसी संभावना है

हानि होगी। यदि प्रावधान है तो यह लागू नहीं होगा।

रॉयल्टी/राजस्व के उपचार पर रियायत समझौते में शेयर करें "।

[जोर दिया

गया]

75. उक्त दिशा-निर्देशों में विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया है कि रॉयल्टी/राजस्व

निजी प्रचालक द्वारा मकान मालिक बंदरगाह को देय 'शेयर' को शुल्क गणना के लिए स्वीकार्य लागत के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी जैसा कि सरकार द्वारा जहाजरानी मंत्रालय में 29 जुलाई, 2003 के

अपने आदेश No.PR-14019/6/2002-पीजी के माध्यम से तय किया गया है। इसने आगे प्रावधान किया कि उन बी. ओ. टी. मामलों में जहां बोली प्रक्रिया को 29 जुलाई, 2003 से पहले अंतिम रूप दिया गया था, शुल्क गणना में शुल्क निर्धारण के लिए लागत के रूप में रॉयल्टी/राजस्व साझाकरण को इस तरह से ध्यान में रखा जाएगा ताकि रॉयल्टी/राजस्व हिस्से को ध्यान में न रखने के कारण ऑपरेटर को संभावित नुकसान से बचा जा सके। हालाँकि, यह केवल अगले सबसे कम बोली लगाने वाले द्वारा उद्धृत राशि के अधिकतम के अधीन था। इसे आगे उस अवधि के लिए अनुमति दी गई थी जब तक कि इस तरह की संभावित हानि उत्पन्न होगी। इसने आगे प्रावधान किया कि यह तब लागू नहीं होगा जब रॉयल्टी/राजस्व हिस्से के उपचार पर रियायत समझौते में प्रावधान है।

पी. एस. ए. एस. आई. सी. ए. एल. टर्मिनल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ वी. ओ. चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट टुटिकोरिन [बी. आर. गवई, जे.]

76. इन सभी दस्तावेजों को एक साथ पढ़ने से पता चलता है कि

जब अप्रैल 1997 में बोली दस्तावेज प्रकाशित किया गया था; एस. आई. सी. ए. एल. ने अक्टूबर, 1997 में अपनी बोली लगाई और दिसंबर, 1997 में अपना वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया; और एस. आई. सी. ए. एल. को 29 जनवरी, 1998 को एल. ओ. एल. जारी किया गया था, तो कोई दिशा-निर्देश नहीं थे। यहां तक कि फरवरी 1998 के दिशानिर्देशों में भी शुल्क निर्धारित करते समय रॉयल्टी को लागत के रूप में शामिल करने का प्रावधान नहीं है। इसके विपरीत, 1999 का शुल्क आदेश विशेष रूप से स्पष्ट करता है कि उसने रॉयल्टी के मुद्दे को टी. पी. टी. और भारत सरकार द्वारा तय करने के लिए छोड़ दिया है। इसने विशेष रूप से स्पष्ट किया है कि टी. ए. एम. पी. द्वारा अनुमोदन की व्याख्या रॉयल्टी से संबंधित मुद्दे के किसी भी अंतर्निहित अनुमोदन के रूप में नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा, शुल्क आदेश जारी किया गया

उच्च न्यायालय रिट याचिका के माध्यम से, जिसे याचिका की अनुमति दी गई है। यह है। यह भी विवाद में नहीं है कि मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 8 नवंबर, 2002 को पारित अंतरिम आदेश के कारण एस. आई. सी. ए. एल. अभी भी 1999 के शुल्क आदेश में अधिसूचित दरों पर शुल्क लेना जारी रखे हुए है।

77. इस परिदृश्य में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण का निष्कर्ष, कि एक कानून था जब पक्षों के बीच समझौता किया गया था,

जिसने रॉयल्टी को एक पास-थ्रू के रूप में प्रदान किया और यह कि उक्त कानून को पहली बार 2003 में बदला गया और बाद में 2005 में फिर से बदला गया, हमारे विचार में, 'कोई सबूत नहीं' के आधार पर एक निष्कर्ष है। यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने 1999 और 2002 के शुल्क आदेशों का अवलोकन किया होता, तो यह पाया जाता कि 1999 के शुल्क आदेश में टीएएमपी ने विशेष रूप से कहा है कि शुल्क की इसकी मंजूरी को रॉयल्टी से संबंधित मुद्दे की अंतर्निहित मंजूरी के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और 2002 के शुल्क आदेश में विशेष रूप से कहा गया है कि शुल्क निर्धारित करते समय रॉयल्टी को लागत में शामिल करने की अनुमति नहीं थी। मध्यस्थ न्यायाधिकरण मामले के इस पहलू पर विचार करने में पूरी तरह विफल रहा है।

78. इस प्रकार, हमारा विचार है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निष्कर्ष के बाद से, इस प्रभाव के लिए एक मौजूदा कानून था कि

देय रॉयल्टी की अनुमति लागत के रूप में दी जाएगी, जबकि शुल्क का निर्धारण 'कोई सबूत नहीं' पर आधारित है और यह निष्कर्ष, कि 2003 और 2005 में कानून में बदलाव हुआ था, बिना किसी विचार के आधारित है। प्रासंगिक साक्ष्य पर विचार करना, विकृति के दायरे में आएगा जैसा कि इस न्यायालय द्वारा एसोसिएट बिल्डर्स (उपरोक्त) के पैराग्राफ 31 में समझाया गया है। निष्कर्ष अपने निर्णय पर पहुंचने में 'कोई सबूत नहीं' और 'महत्वपूर्ण सबूत की अज्ञानता' पर आधारित हैं।

21] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

79. यह हमें अगले मुद्दे पर लाता है। , इस बारे में कि क्या मध्यस्थ न्यायाधिकरण को एक पुरस्कार पारित करने में उचित ठहराया गया था जिससे 'रॉयल्टी' को प्रतिस्थापित किया गया था

भुगतान मॉडयूल 'से' राजस्व-साझाकरण मॉडयूल 'तक। पार्टियों के बीच विधिवत किए गए अनुबंध को पार्टियों की सहमति के बिना एकतरफा रूप से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। पक्षकारों के इरादे को अभिलेख पर दस्तावेजों से एकत्र किया जा सकता है। एस. आई. सी. ए. एल. पहली बार बनाया गया 6 अक्टूबर, 2006 को टी. पी. टी. को ज्ञापन, जिसके द्वारा समझौते के अनुच्छेद 14.3 की शर्तों के तहत राहत की मांग की गई। 14 अक्टूबर, 2006 को टी. पी. टी. ने एस. आई. सी. ए. एल. को सूचित किया कि उसके द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच की जा रही है। हालाँकि, 27 अक्टूबर, 2006 के आदेश के अनुसार, टी. पी. टी. ने राहत के लिए एस. आई. सी. ए. एल. के आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसके अनुसार, एस. आई. सी. ए. एल. द्वारा उठाया गया मुद्दा मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित था। इसलिए विशेष

मद्रास के समक्ष 2006 की रिट याचिका संख्या 4361 के रूप में दायर रिट याचिका

उच्च न्यायालय। मद्रास उच्च न्यायालय ने 21 अगस्त, 2007 के आदेश के माध्यम से उक्त रिट याचिका को यह स्पष्ट करते हुए स्वीकार कर लिया कि उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित याचिका का लाइसेंस समझौते के अनुच्छेद 14 के तहत प्रतिनिधित्व से कोई लेना-देना नहीं है और मामले को नए सिरे से विचार के लिए टी. पी. टी. को भेज दिया। 25 अप्रैल, 2008 के एक तर्कपूर्ण पत्र के माध्यम से, टी. पी. टी. ने एस. आई. सी. ए. एल. के दावे को खारिज कर दिया। टी. पी. टी. ने विशेष रूप से देखा है कि कोई

समझौते में परिवर्तन भारत सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता है। एस. आई. सी. ए. एल. ने 19 नवंबर, 2012 को लाइसेंस समझौते के अनुच्छेद 15.3 के तहत मध्यस्थता का आह्वान करते हुए टी. पी. टी. को एक पत्र लिखा। टी. पी. टी. सख्ती से

'रॉयल्टी भुगतान मोड' से 'राजस्व साझाकरण मोड' में परिवर्तन के लिए प्रार्थना के संबंध में एस. आई. सी. ए. एल. के दावे का विरोध किया। टी. पी. टी. का रुख

मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पुरस्कार के पैराग्राफ 5 में स्पष्ट किया गया है, जो इस प्रकार है:

" 5. बचाव का योग और सार इस प्रकार है:

" किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। एस. आई. सी. ए. एल. की शिकायत है कि टैरिफ तय करने में टी. ए. एम. पी. द्वारा एक त्रुटि की गई है। उस शिकायत को एस. आई. सी. ए. एल. द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष बार-बार लिया गया था और सभी चरणों में चुनौती दिए गए

आदेशों को दरकिनार करते हुए आदेश पारित किए गए हैं। इसलिए एस. आई. सी. ए. एल. की वास्तविक शिकायत केवल टी. ए. एम. पी. के खिलाफ है न कि पोर्ट के खिलाफ। चूंकि शुल्क तय करने का मुद्दा लंबित है।

अंतिम रूप से, एस. आई. सी. ए. एल. पोर्ट के खिलाफ कानूनी या तथ्यात्मक रूप से कोई दावा नहीं कर सकता है। पोर्ट टी. ए. एम. पी. के क्रम से बंधा होता है। टी. ए. एम. पी. जो भी आदेश पारित करता है, बंदरगाह उसका पालन करने के लिए बाध्य है। बंदरगाह को शुल्क निर्धारण शक्ति पी. एस. ए. एस. आई. सी. ए. एल. टी. पी. वी. टी. में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

लिमिटेड। वी. द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ वी. ओ. चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट टुटिकोरिन [बी. आर. गवई, जे.]

टी. ए. एम. पी. जो उनका अनन्य क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र है। यह अनुबंध किसी भी दिशानिर्देश के आधार पर नहीं किया गया है। अनुबंध की तारीख पर कोई दिशानिर्देश नहीं था, जैसा कि एस. आई. सी. ए. एल. द्वारा तर्क दिया गया था। वर्तमान विवाद द्वारा, एस. आई. सी. ए. एल. अनुबंध की पूरी प्रकृति को रॉयल्टी मॉड्यूल से राजस्व साझाकरण मॉड्यूल में बदलने की कोशिश कर रहा है। यह है।

किसी न्यायालय या इस न्यायाधिकरण के लिए किसी भी पक्ष को नया अनुबंध करने के लिए मजबूर करना अनुज्ञेय नहीं है। अनुबंध हमेशा पक्षों की सहमति से होता है। एस. आई. सी. ए. एल. द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष रखी गई सभी शिकायतें टी. ए. एम. पी. के आदेश के खिलाफ की गई सभी चुनौतियों में टी. ए. एम. पी. और मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष उनकी शिकायतें हैं। न तो कोई न्यायालय और न ही न्यायाधिकरण अनुबंध को फिर से लिख सकता है। अनुबंध एक प्रवर्तनीय अनुबंध है और केवल इसलिए कि एस. आई. सी. ए. एल. को आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है, इस विवाद में मांगी गई राहत प्रदान नहीं की जा सकती है। यदि एस. आई. सी. ए. एल. का मामला सही है, तो यह उनके लिए खुला है कि वे अनुबंध को समाप्त करें और उचित राहत प्राप्त करें। यदि अनुबंध की ऐसी समाप्ति एस. आई. सी. ए. एल. के कहने पर होती है, तो पोर्ट उचित राहत पाने के लिए कदम उठाएगा। अनुबंध अधिनियम की धारा 56

इस मामले में लागू होता है "

पोर्ट के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा कई मामले कानूनों का हवाला दिया गया है और हम उन्हें उपयुक्त समय पर संदर्भित करेंगे। स्टेज "।

80. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि एस. आई. सी. ए. एल. चाहता था कि समझौता

'विधि' को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा 'राजस्व-साझाकरण विधि' के साथ पूरी तरह से प्रतिस्थापित किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस पुरस्कार ने एस. आई. सी. ए. एल. के एकतरफा इरादे से पक्षों के लिए एक नया अनुबंध बनाया है। टी. पी. टी. का इरादा।

82. मध्यस्थता पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अन्य क्षेत्राधिकारों के निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, यह न्यायालय सांगयोंग [2021] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ऊपर), ने देखा

" 76. हालाँकि, जब भारत की सार्वजनिक नीति की बात आती है,

ऐसी परिस्थितियाँ जब न्यायालय की अंतरात्मा मौलिक धारणाओं या न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन से स्तब्ध हो जाती है। यह देखा जा सकता है कि समझौते द्वारा लागू किया गया सूत्र फरवरी 2013 तक लागू रहा-संक्षेप में, यह कहना सही नहीं है कि समझौते के तहत सूत्र को मंत्रालय द्वारा आधार सूचकांकों में 1993-1994 से 1993-1994 में बदलाव के कारण लागू नहीं किया जा सका। 2004-2005 . इसके अलावा, एक जोड़ने वाले कारक को लागू करने के लिए, एक पक्ष द्वारा एकतरफा रूप से जारी एक परिपत्र संभवतः दूसरे को बांध नहीं सकता है।

उस दूसरे पक्ष की सहमति के बिना समझौते का पक्ष। वास्तव में, परिपत्र स्वयं स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि यह तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक कि ठेकेदार एक वचन/शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं कि परिपत्र के तहत मूल्य समायोजन उन्हें स्वीकार्य है। हमने देखा है कि कैसे अपीलार्थी ने इस तरह का वचन केवल सशर्त और अपने इस तर्क पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना दिया कि परिपत्र लागू नहीं होता है और लागू नहीं हो सकता है। इस मामले में, यह स्पष्ट है कि बहुमत पुरस्कार ने उक्त एकतरफा परिपत्र को लागू करके और समझौते के तहत एक व्यवहार्य सूत्र को दूसरे सूत्र द्वारा प्रतिस्थापित करके पक्षों के लिए एक नया अनुबंध बनाया है। इस मामले में, न्याय के एक मौलिक सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है, अर्थात्, किसी अनुबंध का एकतरफा जोड़ या परिवर्तन कभी भी किसी अनिच्छुक पक्ष पर थोपा नहीं जा सकता है, और न ही समझौते का कोई पक्ष दूसरे पक्ष के साथ किए गए सौदे को करने के लिए उत्तरदायी हो सकता है। स्पष्ट रूप से, इस तरह का आचरण इस देश में पालन किए जाने वाले न्याय के मौलिक सिद्धांतों के विपरीत होगा, और इस न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देगा। हालाँकि, हम दोहराते हैं कि यह आधार केवल बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में उपलब्ध है, जैसे कि वर्तमान मामले में तथ्य की स्थिति। किसी भी परिस्थिति में कोई भी अदालत इस आधार पर मध्यस्थता पुरस्कार में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है कि अदालत की राय में न्याय नहीं किया गया है। यह उस विवाद के गुण-दोष में प्रवेश होगा जो, जैसा कि हमने देखा है, इसके विपरीत है।

1996 के अधिनियम की धारा 34 के लोकाचार, जैसा कि इस निर्णय में पहले उल्लेख किया गया है।

[जोर दिया गया] पी. एस. ए. एस. आई. सी. ए. एल. टी. पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ वी. ओ. चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट टुटिकोरिन [बी. आर. गवई, जे.]

83. इस प्रकार, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा सांगयोंग इंजीनियरिंग में अभिनिर्धारित किया गया है

और कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ऊपर), मौलिक सिद्धांत

न्याय का उल्लंघन किया गया है, अर्थात्, एक एकतरफा जोड़ या अनुबंध में परिवर्तन एक अनिच्छुक पक्ष पर थोपा गया है। इस न्यायालय ने आगे कहा है कि समझौते के किसी पक्ष को कुछ ऐसा करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है जिसके लिए उसने अनुबंध नहीं किया है। हमारे विचार में, पक्षों के लिए एक अनुबंध फिर से लिखना मौलिक नियमों का उल्लंघन होगा। न्याय के सिद्धांत जो न्यायालय को हस्तक्षेप करने का अधिकार देते हैं क्योंकि ऐसा मामला ऐसा होगा जो न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देगा और इस तरह, असाधारण श्रेणी में आएगा।

84. हम लाभप्रद रूप से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख कर सकते हैं। अन्नपूर्णा निर्माण 2 6

" 22. अधिकार क्षेत्र के भीतर एक त्रुटि और अधिकार क्षेत्र से अधिक त्रुटि के बीच एक स्पष्ट अंतर है। इस प्रकार की भूमिका

मध्यस्थ को अनुबंध की शर्तों के भीतर मध्यस्थता करनी है। दलों ने उसे जो अधिकार दिए हैं, उसके अलावा उसके पास कोई अधिकार नहीं है।

अनुबंध। यदि उसने अनुबंध से आगे की यात्रा की है, तो वह अधिकार क्षेत्र के बिना काम कर रहा होगा, जबकि यदि वह अनुबंध के मापदंडों के भीतर रहा है, तो उसके पुरस्कार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

इस आधार पर कि इसमें एक स्पष्ट त्रुटि है

रिकॉर्ड करें "।

पार्टियों ने उसे अनुबंध के तहत दिया है। यदि उसने अनुबंध से परे यात्रा की है, तो वह बिना अधिकार क्षेत्र के कार्य करेगा। 86. मोहम्मद के मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना भी उचित होगा। सेना कल्याण आवास संगठन

v. सुमंगल सर्विसेज (पी) Ltd.27

" 43. एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण कानून की अदालत नहीं है। इसके आदेश न्यायिक आदेश नहीं हैं। इसके कार्य न्यायिक कार्य नहीं हैं। यह अपनी शक्तियों का न्याय के अधिकार के बिना प्रयोग नहीं कर सकता है। मध्यस्थ का अधिकार क्षेत्र समझौते के चार कोनों तक सीमित होने के कारण, वह

केवल ऐसा आदेश पारित कर सकते हैं जो विषय हो सकता है - संदर्भ "।

26 (2003) 8 एससीसी 154 27 (2004) 9 एससीसी 619 [2021] 5 एस. सी. आर.

यह अपनी शक्तियों का न्याय के अधिकार के बिना प्रयोग नहीं कर सकता है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मध्यस्थ का अधिकार क्षेत्र समझौते के चारों कोनों तक सीमित होने के कारण, वह केवल ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो संदर्भ का विषय हो सकता है। 88. इस मामले के उस दृष्टिकोण में, हमारा विचार है कि विवादित पुरस्कार 'पेटेंट अवैधता' के दायरे में आएगा।

और इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से अलग कर दिया गया है।

देय रॉयल्टी के अनुदान या पारित होने से इनकार के पहलू के संबंध में भी जी. ओ. एल. द्वारा विभिन्न आदेश पारित किए गए हैं। एस. आई. सी. ए. एल. द्वारा उक्त आदेशों को चुनौती देते हुए विभिन्न याचिकाएं दायर की गई हैं और अधिसूचनाएँ। सभी याचिकाओं को अनुमति दी गई जिससे मामलों को टीएएमपी और गोल को भेज दिया गया। हालाँकि, यह विवाद में नहीं है कि एस. आई. सी. ए. एल. ने 8 नवंबर, 2002 को पारित किए गए अंतरिम आदेश के आधार पर विविध

2002 की रिट याचिका में 2002 की याचिका संख्या 60240 टी. ए. एम. पी. द्वारा पारित 1999 के शुल्क आदेश (दिनांक 8 दिसंबर, 1999) के आधार पर शुल्क लगाना जारी रखे हुए है।

91. मूल्य के संबंध में टी. ए. एम. पी. द्वारा जारी अंतिम अधिसूचना

30 दिसंबर, 2008 की अधिसूचना के माध्यम से राजपत्रित 17 दिसंबर, 2008 के शुल्क निर्धारण को एस. आई. सी. ए. एल. द्वारा 2009 की रिट याचिका No.1350 के माध्यम से चुनौती दी गई थी। जी. ओ. एल. द्वारा 20 फरवरी, 2008 को जारी अंतिम निर्देश को भी एस. आई. सी. ए. एल. द्वारा रिट याचिका No.1351 के माध्यम से चुनौती दी गई थी।

2009. 15 अक्टूबर, 2009 के एक आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने 20 फरवरी, 2008 के जी. ओ. एल. के आदेश और पी. एस. ए. एस. आई. सी. ए. एल. टर्मिनल्स पी. वी. टी. द्वारा जारी 17 दिसंबर, 2008 की अधिसूचना को दरकिनार करते हुए इन रिट याचिकाओं को मंजूरी दे दी है।

लिमिटेड। वी. द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ वी. ओ. चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट टुटिकोरिन [बी. आर. गवई, जे.]

टी. ए. एम. पी. ने गोल के साथ-साथ टी. ए. एम. पी. को इस मुद्दे पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया है।

92. बार में यह सूचित किया जाता है कि उक्त आदेश दोनों एस. आई. सी. ए. एल. द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष अपील में किया गया है।

साथ ही टी. ए. एम. पी., जो अभी भी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।

93. हमारा विचार है कि यदि हम पहले की गई उपरोक्त प्रस्तुतियों के संबंध में मुद्दे के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी करते हैं।

यह किसी भी पक्ष के अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। इसलिए हम उपरोक्त तर्कों के संबंध में कोई भी टिप्पणी करने से बचते हैं, हालांकि हमारे सामने इसका भारी विरोध किया गया है।

94. इसलिए हम पुरस्कार की वैधता के संबंध में खुद को इस मुद्दे तक सीमित रखते हैं। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि निर्णय की वैधता को छोड़कर मामले के अन्य पहलुओं के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा की गई कोई भी टिप्पणी, उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष लंबित किसी भी कार्यवाही या किसी अन्य कार्यवाही में अपनी शिकायतें उठाने वाले किसी भी पक्ष के रास्ते में नहीं आएगी, जिसके लिए उनमें से कोई भी कानून का सहारा लेने का हकदार होगा।

95. परिणामस्वरूप, इन टिप्पणियों के साथ, हम अपीलों को खारिज करते हैं। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, कोई नहीं होगा लागत के बारे में आदेश दें। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका तदनुसार निपटारा किया जाएगा।

देविका गुजराल

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।